

अहिंसा वत

सत्य व्रत अचौर्य व्रत ब्रह्यचर्य वत अपरिग्रह व्रत

दिशा परिमाण व्रत उपभोग परिभोग परिमाण व्रत अनर्थदण्ड <u>वि</u>रमण व्रत

सामायिक व्रत देशावकाशिक वत

यौषध व्रत अतिथि संविभाग व्रत



#### प्रकाशकः

# सम्यग्जान प्रचारक मण्डल

(संरक्षक : अखिल भारतीय श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ)

# श्रावक के बारह व्रत



संकलनः मंगला चोरडिया, जलगाँव



#### प्रकाशक

# सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल

(संरक्षक : अखिल भारतीय श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ)

#### पुस्तक:

#### श्रावक के बारह व्रत

प्रकाशक:

सम्यग्जान प्रचारक मण्डल

सुबोध बॉयज सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय के ऊपर, बापू बाजार, जयपुर-302003 (राजस्थान)

फोन: 0141-2575997

Email: sgpmandal@yahoo.in

संकलनः मंगला चोरडिया, जलगाँव

नवम् संस्करण : 2009 दसवाँ संस्करण : 2010 ग्यारहवाँ संस्करण : 2012 बारहवाँ संस्करण : 2015

तेरहवाँ संस्करण : 2017 चौदहवाँ संस्करण : 2022

मुद्रित प्रतियाँ : 2100

मूल्य : 15.00/- (दस रुपये मात्र)

लेज़र टाइपसैटिंग

सम्यग्जान प्रचारक मण्डल

मुद्रक: इण्डियन मैप सर्विस, शास्त्री नगर, जोधपुर

अन्य प्राप्ति-स्थल :

श्री धीरज जी डोसी श्री स्थानकवासी जैन स्वाध्याय संघ सामायिक स्वाध्याय भवन, प्लॉट नं. 2, कुम्हार छात्रावास के सामने, नेहरू पार्क, जोधपुर-342003 (राजस्थान)

> फोन : 0291-2624891 मोबाइल : 9462543360

श्री प्रकाशचन्दजी सालेचा
 16/62, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड,
 जोधप्र-342001 (राजस्थान)

फोन : 9461026279

☐ Shri Navratan ji Bhansali C/o. Mahesh Electricals, 14/5, B.V.K. Ayangar Road, BANGALURU-560053 (Karnataka) 080-22265957

Mob.: 09844158943

🛮 श्री मनोज जी संचेती

आर. सी. बाफना स्वाध्याय भवन के सामने, व्यंकटेश मन्दिर के पीछे, गणपति नगर, जलगाँव-425001 (महा.)

फोन : 9422591423

🗖 Shri Padamchand ji Kothari

7 B, "Satva", Opp. Shreyas Coop. Stores, Narayan Nagar Road, Shantivan, Paldi, **AHMEDABAD-380007** (Gujarat) Ph. 9429303088

# प्रकाशकीय

ठाणांगसूत्र के दूसरे ठाणे में दो प्रकार के धर्म का कथन है— 'दुविहे धम्मे पण्णत्ते, तं जहा—सुयधम्मे चेव, चिरत्तधम्मे चेव।' धर्म दो प्रकार का है—श्रुतधर्म और चारित्रधर्म। फिर चारित्रधर्म दो प्रकार का कहा है—'चिरत्तधम्मे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा—अगारचिरत्तधम्मे चेव।' जो साधक पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति आदि रूप चारित्र को तीन करण, तीन योग से जीवन पर्यन्त के लिए धारण करते हैं तथा ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की आराधना में लीन रहते हैं वे अणगार कहलाते हैं। अणगार विषय—वासना आदि से रहित होते हैं तथा शान्ति और आनन्द में निमग्न रहते हैं।

अगारधर्मी अपनी कामनाओं एवं वृत्तियों को पूर्णतः रोकने में समर्थ नहीं होता लेकिन उन्हें सीमित अवश्य करता है। अनियन्त्रित वृत्तियों को नियन्त्रित कर त्याग और मर्यादा में अवस्थित होना 'व्रत' कहलाता है। व्रतों से अव्रत की क्रिया रुक जाती है और अनेक पापों से जीव बच जाता है। यदि व्रत अङ्गीकार न करे तो सभी सांसारिक प्रवृत्तियों के पाप का भागी बनकर जीव दुर्गति प्राप्त करता है।

तीर्थंकर प्रभु ने प्राणिमात्र पर असीम कृपा करके दुर्गति से बचने का मार्ग प्रशस्त किया है। उपासकदशाङ्गसूत्र में श्रावक के बारह व्रतों का वर्णन है, जिनको धारण करके आनन्द, कामदेव आदि श्रेष्ठियों ने अपने जीवन को मर्यादित बनाकर अपने आपको एकभवतारी बना लिया।

अवसर्पिणी काल के इस पाँचवें आरे में हमें आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल और वीतराग भगवन्तों की वाणी सुनने और समझने का सुनहरा अवसर प्राप्त है, निश्चय ही हम भाग्यशाली हैं। यदि वीतराग वाणी को सुनकर हम पञ्चमहाव्रतधारी साधु बन सकें तो सर्वश्रेष्ठ है, अन्यथा कम से कम बारह व्रतधारी श्रावक तो बनें ही। यह अनमोल जीवन, व्रत-धारण किये बिना चला गया तो पुन: मिलना कठिन है।


प्रस्तुत पुस्तक 'श्रावक के बारह व्रत' में व्रत की प्रतिज्ञा, अतिचार, आगार, नियम तथा शिक्षाएँ, इस क्रम से प्रत्येक व्रत का स्वरूप समझाया गया है। वर्तमान में जो नियम आवश्यक प्रतीत होते हैं, उन्हें भी व्रतों के स्वरूप में समाहित करने का प्रयास किया गया है। हम व्रतों की महत्ता को समझेंगे और उन्हें जीवन में धारण करेंगे। इसी भावना से पुस्तक का प्रकाशन किया गया है।

पुस्तक की सामग्री एकत्रित करने के लिए सौ. मंगलाजी चोरड़िया, जलगाँव (महाराष्ट्र) ने समय-समय पर गुरुभगवन्तों की सेवा में जाकर आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया, जिससे पुस्तक के कलेवर में विशिष्टता दृष्टिगोचर होती है। हम उनके हृदय से आभारी हैं। पुस्तक के प्रूफ संशोधन में श्री सौभाग्यमल जी जैन, अलीगढ़-रामपुरा एवं श्री नवरतनजी भंसाली, बेंगलोर का सहयोग प्राप्त हुआ, एतदर्थ मण्डल परिवार आपका भी आभारी है।

आचार्यश्री हीराचन्द्रजी म.सा. की सदैव यह प्रेरणा रहती है कि हम अविरित से विरित की ओर कदम बढ़ायें। हम आचार्यप्रवर की प्रेरणा को साकार कर बारह व्रतधारी श्रावक बनकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। इसी मंगल मनीषा के साथ...

#### ः निवेदकः

आनन्द चौपड़ा डॉ. धर्मचन्द जैन विनयचन्द डागा अशोक कुमार सेठ अध्यक्ष कार्याध्यक्ष कार्याध्यक्ष मन्त्री सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल



### सम्यक्तव-ग्रहण का पाठ

#### सम्यक्तव का स्वरूप

### अरिहंतो महदेवो, जावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो। जिणपण्णत्तं तत्तं, इअ सम्मत्तं मए गहियं।।

अरिहंत भगवान ही मेरे देव हैं, सुसाधु मेरे गुरु हैं और जिनेश्वर प्रणीत तत्त्व ही मेरा धर्म है। यह सम्यक्त्व मैंने जीवन पर्यन्त के लिए ग्रहण किया है। आज से पहले अज्ञानता के कारण मैंने मिथ्या धर्म पाला, वह मेरा पाप निष्फल होवे।

#### प्रतिज्ञा

- मैं देवगत मिथ्यात्व का त्याग करने के उद्देश्य से वीतराग देव (जिनेश्वर भगवन्त) के अतिरिक्त किसी भी सरागी देव को देवबुद्धि से वन्दना नमस्कार नहीं करूँगा/करूँगी। ( )
- 2. मैं गुरुगत मिथ्यात्व का त्याग कर रहा हूँ, इसलिए पञ्चमहाव्रतधारी निर्ग्रन्थ गुरु के अतिरिक्त किसी को भी गुरु बुद्धि से वन्दन नमस्कार नहीं करूँगा/करूँगी।
- 3. मैं केवली भाषित द्यामय धर्म को ही धर्म मानूँगा/मानूँगी।
- 4. मैं अरिहन्त देव, निर्ग्रन्थ गुरु, दयामय धर्म और 32 शास्त्र रूप जिनवाणी पर दृढ़ आस्था रखूँगा/रखूँगी। ( )
- 5. तीर्थंकर भगवान की वाणी को दृढ़ श्रद्धा के साथ जीवन में उतारूँगा/उतारूँगी। ( )
- 6. हिंसा-अहिंसा धर्म, जड़-गुण पूजा, शिथिलाचारी-शुद्धाचारी, सरागी-वीतरागी देव आदि गलत-सही सभी को समान नहीं समझूँगा/समझूँगी।
- 7. सप्त कुव्यसन-नशा, जुआ, चोरी, मांसाहार, शिकार, परस्त्री-गमन, वैश्यागमन का त्याग रखूँगा/रखूँगी। ( )

8.	प्रतिमा, फोटो आवि	दे स्थापना निक्षेप की पूजा पाठ, धूप, दीप नहीं 🖣
	करूँगा/करूँगी।	( )
9.	जीवन पर्यन्त कोई	भी देवी-देवता और लौकिक त्यौहार, होली,
		ली–पूजन, मेला, शीतला आदि में प्रतिमा को
	नहीं पूजूँगा/पूजूँगी	-,
10.	देवी-देवताओं की	ो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या अन्य
		ाक्ति, मान्यतादि नहीं करूँगा/करूँगी। (  )
11.	सुख, शान्ति और समाधि में नित्य नमस्कार मन्त्र की माला या	
	आनुपूर्वी गिनूँगा/ि	गेनूँगी। ( )
12.	प्रतिदिन वन्दना करूँगा/करूँगी। ( )	
13.	अपने क्षेत्र में विर	राजमान साधु–साध्वियों के नियमित दर्शन
	करूँगा/करूँगी।	( )
14.	मैं प्रतिदिन (	) मिनट शास्त्र वचन सुनूँगा या धार्मिक
	पुरत्तक का वाचन	करूँगा/करूँगी।
15.	आत्मचिन्तन (	)मिनट करूँगा/करूँगी।
अतिचार		
7	संका–	वीतराग कथित गहन–गम्भीर वचन सुनकर,
		यह सत्य है या असत्य, इस प्रकार सन्देह
		करना।
कंखा-		मिथ्या मार्ग का आडम्बर, चमत्कार देखकर
		एवं वीतराग कथित धर्म-मार्ग को छोड़कर
		दूसरे मिथ्या–मार्ग की आकांक्षा करना।
1	वितिगिच्छा-	धर्म, तप, जप के फल में सन्देह करना कि
		इतना करता हूँ लेकिन मुझे इसका फल मिलेगा
2		या नहीं।

परपासंड पसंसा- मिथ्यादृष्टि की प्रभावना देखकर उसकी प्रशंसा करना।

परपासंड संथवो – मिथ्यादृष्टियों से अधिक संसर्ग – परिचय रखना।

#### आगार

लौकिक व्यवहार से, कुलाचार से, परम्परा से, राजाज्ञा के कारण से, जाति आदि के कारण से, बलशाली द्वारा विवश किए जाने पर, माता-पितादि पूज्य पुरुषों के आग्रह से, अटवी के कारण से, अकाल-दुष्काल के कारण से, मिथ्यात्वी को मान-सम्मान देना पड़े अथवा अन्य किसी दुःखी की अनुकम्पा से, धर्म दिपाने के कार्य में तथा संघ का कष्ट मिटाने में मिथ्यात्वी को दान एवं मान देना पड़े तो मुझे इसका आगार है।

#### सम्यक्तव का फल

सम्यक्त्व भाव में रहते हुए आत्मा नरक, तिर्यञ्च, भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी देव की आयुष्य तथा स्त्रीवेद और नपुंसकवेद इन सात बोलों का बन्ध नहीं करता। बारह व्रतधारी श्रावक कम से कम पहले देवलोक और अधिक से अधिक बारहवें देवलोक तक जाता है। यदि श्रावकपने में आयुष्य का बन्ध हो तो यह आराधक अधिक से अधिक 15 भव में अवश्य मोक्ष जाता है।

आराधक जीव के 22 दण्डक पर ताला लग जाता है। मनुष्य गति एवं वैमानिक देव के अतिरिक्त वह कहीं भी नहीं जाता। भवसागर के किनारे लग जाता है।

नोट-कोष्ठक में अपने द्वारा किये गये अथवा नहीं किये गये का बोधक चिह्न लगा देवें।

# पहला स्थूल प्राणातिपात-विरमण-व्रत अहिंसा अणुव्रत की प्रतिज्ञा

पहला स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति इन पाँच स्थावर काय के आरम्भ-समारम्भ की मर्यादा करता हूँ/करती हूँ तथा द्वीन्द्रिय से पञ्चेन्द्रिय तक जितने भी निरपराधी जीव हैं, उनको संकल्पपूर्वक मारने की भावना से मारने का जीवन पर्यन्त दो करण तीन योग से पच्चक्खाण करता हूँ/करती हूँ। नोट: – दो करण तीन योग से हिंसा के त्याग का खुलासा–

- 1. मारूँ नहीं-मन से, वचन से, काया से।
- 2. मरवाऊँ नहीं-मन से, वचन से, काया से।

### अहिंसा अणुव्रत के अतिचार (दोष) :

(जानने योग्य हैं, किन्तु आचरण करने योग्य नहीं हैं)

- 1. बंधे- किसी जीव को गुस्से में आकर द्वेष-बुद्धि से निर्दयता पूर्वक गाढ़े बन्धन से बाँधना।
- 2. वहे- गुस्से में आकर निर्दयतापूर्वक प्राणी की मारपीट करना या प्राण-हरण करना।
- 3. छविच्छेए प्राणी की चमड़ी आदि का छेदन करना या अन्य अङ्गों का भेदन करना।
- 4. अइभारे- अपने आश्रित प्राणी-नौकर, चाकर अथवा घर के किसी सदस्य पर द्रेष-बुद्धि से अधिक भार लादना।
- भत्तपाण-विच्छेए-द्रेष-बुद्धि से अपने आश्रित प्राणियों के अन्न,
   पानी में अन्तराय (विघ्न) डालना। किसी की
   आजीविका में बाधा पहुँचाना।

#### विशेष नियम :-

- चूहे, खटमल, मक्खी, मच्छर आदि मारने की दवा नहीं छिड़कूँगा/ छिड़कूँगी।
- 2. किसी भी हिंसाजनक कार्य का अभ्यास नहीं करूँगा/करूँगी।
- 3. मैं मद्य, मांस का सेवन एवं व्यापार नहीं करूँगा/करूँगी।
- औषधि को छोड़कर अफीम, गाँजा, भांग, चरस आदि नहीं पीऊँगा/पीऊँगी।
- 5. अण्डा, मांस जहाँ पकता हो, ऐसी होटलों में, जीमणवार में भोजन नहीं करूँगा/करूँगी।
- 6. खेती-बाड़ी में जीवों को मारने वाली दवाएँ नहीं बनाऊँगा/ बनाऊँगी, नहीं बेचूँगा/बेचूँगी तथा ऐसी कंपनियों के शेयर्स भी नहीं खरीदुँगा/खरीदुँगी।
- 7. सड़ा गला धान्य (अनाज) जिसमें जीवाणु उत्पन्न हो गए हों, ऐसा अनाज नहीं बेचूँगा और ऐसे आटे या मैदे को काम में नहीं लूँगा/लूँगी, जिसमें इल्लियाँ या लटें उत्पन्न हो गई हों, उस आटे और मैदे को छानकर और देखकर ही काम में लूँगा/लूँगी।
- 8. अनाज पीसने का व्यापार नहीं करूँगा/करूँगी।
- 9. अनाज को बिना देखे न पीसूँगा/पीसूँगी और न पिसवाऊँगा/ पिसवाऊँगी।
- 10. गोबर नहीं सड़ाऊँगा/सड़ाऊँगी।
- 11. शहद, मक्खन महाविकृत हैं, अतः बिना कारण इनका प्रयोग नहीं करूँगा/करूँगी।
- 12. मधुमक्खी का छत्ता नहीं तोडूँगा/तोडूँगी।

- 13. चमड़े का और चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का व्यापार नहीं करूँगा/करूँगी।
- 14. चमड़े या कुर्म के चमड़े से बने बूट, चप्पल, सेण्डल, पर्स, बैग आदि उपयोग में नहीं लूँगा/लूँगी।
- 15. लिपस्टिक, परफ्यूम, नेलपॉलिस, स्नो क्रीम, पाउडर, मेंहदी आदि सौन्दर्य प्रसाधनों की संख्या ( ) के उपरान्त का त्याग।
- 16. आत्महत्या एवं भ्रूणहत्या न करूँगा/करूँगी और न ही करवाऊँगा/ करवाऊँगी।
- 17. घर, दुकान आदि के हिस्से आदि में भाई आदि पारिवारिक जनों के विपक्ष में कोर्ट-कचहरी में नहीं जाऊँगा/जाऊँगी।
- 18. मैं पत्नी/पति पर हाथ नहीं उठाऊँगा/उठाऊँगी और असभ्य वचन नहीं बोलूँगा/बोलूँगी।
- 19. मैं बहू के साथ बेटी जैसा व्यवहार करूँगा/करूँगी।
- 20. मैं नौकर-चाकर आदि के साथ अपने कुटुम्बी जन-जैसा व्यवहार करूँगा/करूँगी।
- 21. मैं त्रस जीवों की हिंसा हो, ऐसी सलाह नहीं दूँगा/दूँगी।
- 22. बिना छना पानी काम में नहीं लूँगा/लूँगी और न ही पीऊँगा/ पीऊँगी।
- 23. रात्रि-भोजन नहीं करुँगा/करूँगी।
- 24. कपड़े धोते और धुलवाते समय देखकर दूँगा/दूँगी।
- 25. पड़ोसियों के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार करूँगा/करूँगी।
- 26. संघ में फूट नहीं डालूँगा/डालूँगी।
- 27. मैं अपने व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूँगा/रहूँगी।
- 28. कसाई, कोली, कलाल, शिकारी के काम नहीं करूँगा/करूँगी।
- 29. सूक्ष्म जीव-हिंसा का विवेकपूर्वक त्याग करूँगा/करूँगी।

- 30. कुत्ते, पशु, बालक आदि के साथ निर्दयता से मारपीट नहीं करूँगा/करूँगी।
- 31. पक्षी आदि को पिञ्जरे में नहीं डालूँगा/डालूँगी।
- 32. गरम पेय पदार्थ को फूँक देकर नहीं पीऊँगा/पीऊँगी।
- 1. मैं द्वीन्द्रिय से पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त निरपराधी त्रसजीवों की जान बूझकर जीवन पर्यन्त हिंसा नहीं करूँगा।
- पाँच स्थावर काय की मर्यादा :- (इसमें जीवन पर्यन्त के लिए प्रतिदिन की मर्यादा निर्धारित कर ली जाती है, जिसे चौदह नियम में और संक्षिप्त कर सकते हैं।)
- 1. पृथ्वीकाय :- जीवन पर्यन्त नये मकान बनाना पड़े संख्या
  ( ), पुराने मकान की मरम्मत ( ), कुआँ-बावड़ी ( ),
  बाग-बगीचा ( ), तालाब, बोरिंग नल ( ), सुरंग,
  तहखाना, भौंरा ( ), कोयला, पत्थर, धातु आदि की खान
  ( ), सड़क, नहर, पुल, ( ), प्रतिवर्ष पापड़खार
  ( ), नमक ( ), हींग ( ), हरताल ( ),
  सोनागेरु ( ), फिटकरी ( ), सेंधा नमक ( ),
  ओखली-मूसल, खरल ( ), खेती-बाड़ी के सम्बन्ध में भूमि
  जोतनी या जुतानी पड़े, जमीन खोदनी या खुदवानी पड़े इत्यादि।

( इसमें प्रतिवर्ष अथवा जीवनपर्यन्त के लिए पच्चक्खाण। गज, मीटर, बीघा, एकड़, फर्लांग, मील, नग, किलोग्राम आदि प्रचलित तोल माप के अनुसार परिमाण कर सकते हैं) 2. अप्काय (पानी) – हमेशा प्रतिदिन पीने के लिए पानी लीटर (), स्नान एवं गृह कार्य के लिए लीटर (), विवाह शादी या किसी जीमण वार का काम पड़े तो (), खेती – बाड़ी, मकान निर्माण तथा उसकी मरम्मत करवाने के लिए पानी (), घर में पानी के टेंक (), बाथ टब (), जलाशय (), ओले खाने का त्याग (), बरसात के पानी में नहाने के त्याग (), समुद्र, नदी, तालाब, बावड़ी, स्वीमिंग पूल आदि में नहाने का त्याग () (ये मर्यादाएँ घड़े, गाड़ी, टेंक, गेलन लीटर आदि प्रमाण के अनुसार करें)

आगार:-1. आग लगने पर, कुएँ में वस्तु पड़ जाने पर, जान माल की रक्षा के निमित्त अधिक जल का प्रयोग हो तो मेरे आगार हैं। 2. स्नान-सूतक निमित्त अधिक जल का प्रयोग हो तो मेरे आगार हैं। 3. बरसात में चलते समय, नदी-नाला पार करते समय, पशुओं को पानी पिलाते समय, घर में भरे पानी को उलीचते समय अधिक जल काम में लेना पड़े तो मेरे आगार हैं।

3. तेऊकाय (अग्नि) – मेरे और मेरे परिवार के उपयोग में आने वाली अग्नि, इलेक्ट्रिक एवं सेल से सञ्चालित होने वाले गैस, स्टोव, सिगड़ी ( ), टी.वी., रेडियो ( ), टेपरिकार्ड, पंखा, ए.सी., फ्रिज, मिक्सर, एयरकूलर, माईक, टेलिफोन, मोबाइल, दीपक, माइक्रोवेव, लालटेन, इस्त्री, हीटर, घड़ी, भट्टी, गैसबत्ती, अगरबत्ती, प्रकाश के ट्यूब, बल्ब आदि बिजली से चिलत यन्त्र संख्या ( ) के उपरान्त उपयोग में नहीं लूँगा। नित्य की रसोई भोजन बनाने के निमित्त सिगड़ी, चूल्हा ( ) दीपावली तथा अन्य उत्सवों पर दीपक नग ( ) किसी कारणवश धूनी या धूप करना पड़े तो दियासलाई नग ( ), मोमबत्ती ( ) इत्यादि की मर्यादा। होली, रावण, कचरा और खेत में आग जलाने तथा जलवाने का

का त्याग (

त्याग ( ), द्वेषवश कहीं भी आग नहीं जलाना ( ), पटाखे चलाने

आगार- निम्न कारणों से-आग इधर-उधर रखने पर, लगी आग श्रि बुझाने पर, बन्दूक कारणवश चलाने पर, डाम (दाघ) आदि देने पर, संघ, जाति एवं अन्य प्रसङ्ग पर अग्नि का आरम्भ करना पड़े तो मेरे आगार हैं।

- 4. वायुकाय (हवा) प्रतिदिन छोटे बड़े पंखे ( ), ए.सी. , कूलर ( ), पालखी, पालना, झूला, लिफ्ट, हारमोनियम, पियानो, फोनोग्राम, सारंगी, तबला, वादित्र, ऊखल, मूसल, सूप, इमामदस्ता, झाडू आदि की संख्या ( ) के उपरान्त त्याग। डोलर झूला, चक्कर झूला, बिजली का झूला आदि नग ( ), चरखा, रस निकालने का साँचा ( )
- 5. वनस्पतिकाय जमीकन्द का सम्पूर्ण त्याग अथवा संख्या ( ), हरी सब्जी संख्या ( ) के उपरान्त त्याग। फल संख्या ( ), फूल संख्या ( ), हरी घास का भारा या गाड़ी नग ( ), खेत कटाई और नींदवाई निमित्त बीघा ( ), शाक सुखाने के निमित्त मण ( ) प्रतिवर्ष। बगीचा, वनस्पति काटने, कटवाने का त्याग। अचार के निमित्त किलो प्रतिवर्ष ( ) पीसना पिसाना, दलन दलना, भिगोना भिगवाना पड़े तो वजन ( ) के उपरान्त त्याग।

आगार-अन्य स्थावरों के कारण हिलते, चलते, मेहनत करते, वस्तु उठाते, दुष्काल में शरीर-निर्वाह आदि कारणों से अनिवार्य वनस्पति आरम्भ करना पड़े तो उसका मेरे आगार है।

पाँच स्थावर सम्बन्धी आगार-

- 1. इन पाँच स्थावरों की जो मर्यादा की है, उसमें व्यापार, कारखाना, कॉन्ट्रेक्ट, नौकरी, अधिकारी की आज्ञा, कामकाज निमित्त, अनुकम्पा आदि के कारणों से पाँच स्थावरों की हिंसा होती हो तो आगार है।
- 2. जाति, पञ्चायत, संस्था की व्यवस्था, क्षेत्र के ट्रस्टी बनना, कम्पनी में साझेदारी, शेयर की खरीदी आदि कारणों से स्थावर जीवों की हिंसा होती हो तो मेरे आगार हैं।

- 3. विवाह, उत्सव, प्रीतिभोज, संघ जीमण आदि के कारण स्थावर जीवों की हिंसा होती हो तो मेरे आगार हैं।
- 4. भूल-चूक, वृद्धावस्था या परवशता के कारण व्रत न पल सके तो मेरे आगार हैं।

असिकर्म-सुई, चाकू, कैंची, छुरी, ब्लेड, घण्टी, बन्दूक, पिस्तौल, तलवार, कटारी, कुदाल, लकड़ी, खीला, खुरपा, ऊखल-मूसल, घट्टी इत्यादि अनेक प्रकार के शस्त्र हैं, उनकी गिनती से मर्यादा करें। ( )

मिसकर्म-कलम, कागज, दवात, पेन्सिल, स्याही आदि पेन, डायरी, नोटबुक, पत्र-पत्रिका, फाईल, प्रिंटिंग प्रेस, टाइपराइटर आदि की संख्या (

कृषिकर्म – हल, फावड़ा, कुदाली, खेती करने, जमीन खोदने, बाग – बगीचा बनाने आदि का त्याग या मर्यादा करें। ( ) अहिंसा अणुव्रत के आगार (छूट)

- अपने शरीर सम्बन्धी, सगे (मनुष्य एवं तिर्यञ्च) सम्बन्धी, अनुकम्पा निमित्त चोर, शत्रु वगैरह से अपना रक्षण करते प्रमाद अथवा बिना उपयोग के जीवों को आघात पहुँचे तो उनका मेरे आगार है।
- 2. जीवोत्पत्ति न हो या अधिक न बढ़े, इस दृष्टिकोण से सफाई करने में या दवा इत्यादि छिड़कने का आगार।
- 3. स्वयं के अधीनस्थ खेती और व्यापार से हिंसा का भाव न होते हुए भी छह काय के जीवों की विराधना हो जाय तो आगार।
- 4. अपने निजी स्वार्थ के लिए मकान-दुकान आदि निर्माण करने में, रसोई आदि के लिए अग्नि का आरम्भ करते, मार्ग में चलते, गाड़ी आदि चलाते समारम्भ करने में, नहीं चाहते हुए भी स्थावर जीवों के आश्रय से यदि त्रस जीवों की विराधना हो जाय तो उनका मेरे आगार है।

- 5. हितबुद्धि से डराने, धमकाने तथा ताड़ना देने का आगार।
- 6. यदि कोई पशु या मनुष्य बिगाड़ करता है तो बाँधने, भगाने का आगार।
- 7. लौकिक व्यवहार में नाक-कान के छेद करने-कराने का आगार।
- 8. विषयादि सेवन करने से अथवा मोरी, पाखाना आदि में लघु एवं दीर्घ शंका (मल-मूत्र) आदि करने से सम्मूर्छिम जीवों की विराधना होती है, किन्तु इनका मेरे आगार है।

### अहिंसा अणुव्रत की शिक्षाएँ

- परिवार तथा व्यापार के निमित्त इतने धान्य का संचय नहीं करना चाहिए, जिसमें जीवों की उत्पत्ति हो, क्योंकि उससे रोग उत्पन्न होते हैं और त्रस जीवों की हिंसा भी होती है।
- 2. ईंधन (लकड़ी, गैस के चूल्हे, सिगड़ी आदि) बिना देखे नहीं जलाना चाहिए।
- 3. घी, तेल, दूध, दही, जल, जूठन आदि के बर्तनों को उघाड़ा नहीं रखना चाहिए।
- 4. रात्रि में भोजन बनाना और खाना दोष का कारण है, अतः जितना बन सके उतना त्याग रखना चाहिए।
- 5. खटमल, मक्खी, कोक्रोच, मच्छर, जूँ, लीख,चूहे आदि उत्पन्न नहीं होने पाए, ऐसा पहले से विवेक रखें।
- 6. जूठन, हरी सब्जियों का कचरा आम रास्ते, मोरी या गटर में न डालकर उसको एक साथ इकट्ठा करके पशुओं को खिला देना चाहिए।
- 7. खाने-पीने की वस्तुएँ रसचलित हो गयी हों, गन्ध, वर्ण बदल गया हो, वस्तु में लार पड़ गयी हो, लाल-सफेद अथवा लीलन-फूलन

- आ गई हो इत्यादि विकृत चीजों को खाने-पीने के काम में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वे सभी अभक्ष्य हैं।
- 8. मृतक की राख और हिड्डियाँ (फूल) नदी, तालाब आदि में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि राख और हड्डी के खार से पानी के त्रस जीव भी मर जाते हैं।
- 9. वृद्ध पशुओं को आवारा नहीं फिरने देना चाहिए। पशुओं को कसाई के हाथों नहीं बेचना चाहिए एवं जानवरों के अङ्ग-उपाङ्ग बिना कारण निर्दयी बुद्धि से छेदन नहीं करना चाहिए।
- 10. प्राणिवध से निर्मित वस्तुओं का फैशन एवं विलास में उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे पंखों वाली पोशाकें, हाथी दाँत की वस्तुओं का और सभी प्रकार के सौन्दर्य प्रसाधनों आदि का, क्योंकि इनसे हिंसा में उत्तेजना मिलती है।
- 11. बिरादरी आदि में अथवा अन्य किसी भी जीमनवार में जूठा नहीं डालना चाहिए।
- 12. अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, पक्खी पर्व आदि के दिनों में हरी सब्जी या फल (फ्रूट) आदि खाने का त्याग रखना चाहिए। पर्युषण के आठ दिनों में सभी प्रकार की लीलोती (हरी) खाने का त्याग करना चाहिए।
- 13. मृत शरीर में एक घड़ी (24 मिनिट) पश्चात् असंख्य सम्मूर्छिम जीव उत्पन्न हो सकते हैं, अतः मृत शरीर को अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए।
- 14. वैर-विरोध और विराधना से बचते रहना चाहिए।

  प्रतिज्ञा-उपर्युक्त प्रकार से मैंने जो आगार रखे हैं, उसके उपरान्त
  स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत को ग्रहण करता हूँ।

दिनाङ्क हस्ताक्षर

### दूसरा स्थूल मृषावाद-विरमण-व्रत सत्य अण्वत की प्रतिज्ञा

द्रव्य से- मैं क्रोध, लोभ, हास्य और भय वश ऐसा असत्य वचन नहीं बोलूँगा, जिससे लोक में निंदा हो, समाज में अप्रतीति हो, कुल-जाति-देश और धर्म में अशान्ति फैले, कलंकित होना पड़े, ऐसा मोटा झूठ नहीं बोलूँगा/बोलूँगी। क्षेत्र से-मर्यादित क्षेत्र में स्थूल असत्य बोलने का तथा उसके बाहर सर्वथा असत्य का त्याग करता हूँ/करती हूँ। काल से- जीवन पर्यन्त उक्त प्रकार से असत्य बोलने का त्याग करता हूँ/करती हूँ। भाव से- शुद्ध स्वरूप में स्थिर बनने के लिए विरुद्ध प्रवृत्ति नहीं करूँगा/करूँगी। दो करण तीन योग से।

### सत्य अणुव्रत के अतिचार (दोष)

- सहस्सब्भक्खाणे-बिना विचारे किसी को आघात पहुँचे ऐसा वचन बोलना।
- 2. रहस्सब्भक्खाणे-किसी की गुप्त बात प्रकट करना।
- 3. सदारमंतभेए-स्व स्त्री/पुरुष का मर्म प्रकाशित करना।
- मोसोवएसे-जानबूझकर झूठा उपदेश, खोटी सलाह देना।
- 5. कूडलेहकरणे– झूठा लेख, दस्तावेज, पत्रादि लिखना।

### सत्य अणुव्रत का विषय-

- 1. कन्नालीए-वर-वधू के सम्बन्ध में अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा यानी उनके गुण-अवगुण, उम्र इत्यादि के सम्बन्ध में झूठ नहीं बोलना और न ही बुलवाना।
- 2. गोवालीए-गाय, बैल, भैंस आदि पशुओं के गुण-दोष आदि के सम्बन्ध में झूठ नहीं बोलना और न बुलवाना।

- 3. भोमालीए-जमीन, खेत, मकान, दुकान आदि के सम्बन्ध में <sup>(१</sup> असत्य भाषण नहीं करना।
- 4. नासावहारो–किसी की धरोहर को नहीं दबाना और मायाजाल नहीं फैलाना।
- 5. कूडसक्खिज्जे-खोटी साक्षी तथा कोर्ट में झूठी गवाही नहीं देना। विशेष नियम
- 1. कठोर शब्दों से किसी का अपमान या तिरस्कार नहीं करूँगा/ करूँगी।
- 2. जाति, समाज तथा देश में फूट पड़े अथवा कषाय बढ़े, ऐसा कार्य नहीं करूँगा/करूँगी।
- 3. किसी की धरोहर (अमानत) मेरे पास रखी हुई हो तो उसे नहीं दबाऊँगा/दबाऊँगी।
- 4. पुष्ट प्रमाणों के बिना, मात्र अनुमान से किसी पर कलंक और झूठा आरोप नहीं लगाऊँगा/लगाऊँगी।
- 5. किसी को खोटी सलाह नहीं दूँगा/दूँगी।
- किसी भी व्यक्ति की लज्जास्पद गुप्त बात (रहस्य), जिससे किसी का मर्म प्रकाशित हो, ऐसी बात प्रगट नहीं करूँगा/करूँगी।
- किसी के साथ धोखा हो, ऐसा झूठा दस्तावेज नहीं लिखूँगा/ लिखूँगी।
- 8. बनावटी (जाली) नोट, सिक्का नहीं बनवाऊँगा/बनवाऊँगी।
- 9. व्यापार में वस्तु का मूल्य अपनी इच्छानुसार मागूँगा/मागूँगी, मगर कोई खरीदी भाव पूछेगा सो सत्य कहूँगा/कहूँगी।
- 10. किसी भी व्यक्ति के ऊपर गलत मुकदमा नहीं करूँगा/करूँगी।
- 11. किसी की उन्नति में बाधक नहीं बनूँगा/बनूँगी।
- 12. अश्लील शब्द नहीं बोलूँगा/बोलूँगी।

- 13. किसी से ईर्ष्या नहीं करूँगा/करूँगी।
- 14. किसी को जाति से ऊँच-नीच समझकर छुआछूत नहीं रखूँगा/ रखुँगी।
- 15. 'यदि बोलना चाँदी है तो मौन रहना सोना है' अतः दिन में ( ) घण्टा मौन रखूँगा/रखूँगी।
- 16. मैं अश्लील गायन नहीं गाऊँगा/गाऊँगी।
- 17. प्रमाणित होने पर भी सामने वाले को नीचा दिखाने की दृष्टि से निन्दा नहीं करूँगा/करूँगी।
- 18. वीतरागी अरिहन्त देव, निर्ग्रन्थ सच्चे साधु-साध्वी, दयामय धर्म और बत्तीस शास्त्रों की अश्रद्धा निन्दा नहीं करूँगा/करूँगी। छह काय के जीवों की हिंसा और आडम्बर रूप धर्म के विकारों की प्रशंसा नहीं करूँगा/करूँगी। धर्म-कार्य में हिंसा को प्रोत्साहन नहीं दूँगा/दूँगी। सामायिक में पंखा, लाइट, माइक, बाथरूम आदि के निमित्त आडम्बर में कोई दोष नहीं, ऐसा बोलने से बड़ा झूठ लगता है एवं तीर्थंकर की आज्ञा भङ्ग होती है। अतः ऐसा नहीं बोलूँगा/ बोलूँगी।
- 19. किसी की मौत का कारण बने, दुनिया, देश, गाँव, समाज में झगड़ा होवे, ऐसा कार्य नहीं करूँगा/करूँगी।
- 20. नारद लीलावत, नुकसानकारी, द्वेषवश (सरकार और व्यापार के सिवाय) बड़ा झूठ बोलने का त्याग ( ), बड़े रूप से कलंक, विश्वासघात झूठी सलाह, झूठी साक्षी का त्याग।
- 21. सन्त-सती के सामने झूठ का त्याग।
- 22. ज्यादा हँसी-मजाक से बचूँगा/बचूँगी।
- 23. झूठे दस्तखत नहीं करूँगा/करूँगी, झूठे पट्टे, दस्तावेज, लाइसेंस, झूठे पेंपलेट, अफवाहें आदि नहीं फैलाऊँगा/फैलाऊँगी।

24. छह काय जीवों की हिंसा और आडम्बर रूप धर्म के विकारों की प्रशंसा नही करूँगा/करूँगी।

### सत्य अणुव्रत के आगार (छूट)

- भूल-चूक तथा किसी जीव की प्राण रक्षा के लिए अथवा किसी अधर्मी, क्रूर मनुष्य को शिक्षा देने के लिए, छोटे बच्चों को समझाने के लिए एवं हँसी-मजाक में झूठ बोला जाय तो आगार।
- 2. घर सम्बन्धी कार्य में यदि कोई अति आवश्यक बात छिपानी पड़े, उस समय उपयोग शून्य भाषा बोलनी पड़े तो आगार।
- 3. हास्य, भय, क्रोध आदि परिणामों से अचानक बिना विचारे बोला जाय तथा बेहोशी में असत्य बोला जाय तो आगार।
- 4. अपनी-जान-माल बचाने, आजीविका आदि विशेष कारण से या जीव-रक्षार्थ असत्य बोलने में आ जाय तो छूट।
- 5. सरकारी कायदा नहीं पलने से कोई झूठ बोलना पड़े तो उसका आगार।

### सत्य अणुव्रत की शिक्षाएँ

- सूत्र-सिद्धान्त के विपरीत नहीं बोलना चाहिए। अपनी बेकार बड़ाई नहीं करना चाहिए। निरर्थक बोलने से लोगों का विश्वास नहीं रहता है।
- किसी को नुकसान पहुँचे, फजीहत हो, विरोध बढ़े, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए।
- भले-बुरे का विचार किये बिना दूसरों को प्रसन्न करने के लिए मृद्भाषी नहीं बनना चाहिए।
- 4. किसी की निन्दा नहीं करनी चाहिए।
- 5. धर्म–स्थान में या धर्मक्रिया करते समय विकथा नहीं करनी चाहिए।
- 6. धार्मिक कार्यों में छल-कपट सहित नहीं बोलना चाहिए।

- 7. जहाँ तक हो सके हित, मित, सत्य और प्रिय वचन बोलने का अभ्यास करना चाहिए।
  - 8. जिस बात का पक्का प्रमाण न हो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। निम्नलिखित मुख्य 14 कारणों से झूठ बोला जाता है-
    - 1. क्रोध 2. मान 3. माया 4. लोभ 5. राग 6. द्रेष 7. हास्य 8. भय
    - 9. लज्जा 10. क्रीड़ा 11. हर्ष 12. शोक 13. चतुराई और 14

बहुत बोलना। अतः बोलते समय विवेक रखना चाहिए। एक झूठ से सब सद्गुण ढँक जाते हैं। इस भव में झूठे को लोग गप्पी, लबाड़, लुच्चा, ठग, धूर्त आदि नामों से पुकारते हैं। पर भव में गूँगा, बावला, कटुभाषी, तोतला, दुर्गन्धित मुखवाला होता है। ऐसा समझकर झूठ का त्याग करना चाहिए।

प्रतिज्ञा-उपर्युक्त प्रकार से मैंने जो आगार रखे हैं, उसके उपरान्त स्थूल मृषावाद विरमण व्रत को ग्रहण करता हूँ।

दिनाङ्क

हस्ताक्षर

### तीसरा स्थूल

### अदत्तादान-विरमण-वृत

### अचौर्य अणुव्रत की प्रतिज्ञा

द्रव्य से-मैं ऐसी चोरी नहीं करूँगा/करूँगी और न करवाऊँगा/ करवाऊँगी जिससे राजदण्ड मिले या समाज में अपमान हो। क्षेत्र से-मर्यादित क्षेत्र के बाहर की वस्तुओं को नहीं अपनाऊँगा/अपनाऊँगी। काल से-जीवन पर्यन्त इस प्रकार की चोरी का त्याग करता हूँ/करती हूँ। भाव से-मैं मन-वचन-काया से उक्त प्रकार की चोरी न करूँगा/ करूँगी और न करवाऊँगा/करवाऊँगी।

### अचौर्य अणुव्रत के अतिचार (दोष)

1. तेनाहडे-चोर की चुराई वस्तु को लोभवश अल्प मूल्य में खरीदना।

- 2. तक्करप्पओगे-चोर को चोरी करने में सहायता देना।
- 3. विरुद्धरज्जाइक्कमे-राज्य-विरुद्ध बड़ा कार्य एवं अपराध करना।
- 4. कूडतुल्लकूडमाणे-तोलने के बाट और मापने के गज, मीटर वगैरह हीनाधिक रखना।
- 5. तप्पडिरुवगववहारे-बहुमूल्य बढ़िया वस्तु में अल्प मूल्य वाली घटिया वस्तु मिलाकर बेचना अथवा असली वस्तु दिखाकर नकली वस्तु देना या नकली को ही असली के नाम से बेचना।

#### विशेष नियम

- 1.) जानबूझकर चोरी का माल नहीं खरीद्ँगा/खरीद्ँगी।
- 2. चोर को चोरी करने में मदद नहीं दँगा/दँगी।
- 3. राज्य-विरुद्ध कार्य (कर चोरी, कानून तोड़ना) नहीं करुँगा/करुँगी।
- 4. अच्छी, वस्तु दिखाकर खराब वस्तु नहीं बेचूँगा/बेचूँगी।
- 5. नकली वस्तु को असली बताकर नहीं बेचूँगा/बेचूँगी।
- 6. मैं डण्डी मारकर कम नहीं तोलूँगा/तोलूँगी और गज आदि को खिसकाकर कम नहीं नापूँगा/नापूँगी। व्यापार में छलपूर्वक क्रियाएँ नहीं करुँगा/करुँगी।
- 7. मैं रेल का टिकट और माल का किराया नहीं छिपाऊँगा/छिपाऊँगी।
- अधिक मूल्य की वस्तु में कम मूल्य की वस्तु मिलाकर नहीं बेचूँगा/बेचूँगी।
- 9. धर्मस्थानक में किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करूँगा/करूँगी।
- 10. हिसाब करते वक्त भूल से अगर ज्यादा आ जाए तो रकम या वस्तु वापस करूँगा/करूँगी।
- 11. तस्करी, स्मगलिंग का त्याग।
- 12. धर्मस्थानक में रही हुई वस्तु (पुस्तक, आसन, मुँहपत्ती आदि) का

दुरुपयोग नहीं करूँगा/करूँगी। राज्य-विरुद्ध वस्तुओं का तथा विना लाइसेंस व्यापार नहीं करूँगा/करूँगी।

### अचौर्य अणुव्रत के आगार (छूट)

- किसी सम्बन्धी, मित्र या अपने पर विश्वास रखने वाले का घर, उसके पीछे खोलकर कोई चीज लेनी पड़े तो आगार है, किन्तु उसकी सूचना उसे तत्काल द्रॅगा।
- 2. अल्प मूल्य वाली ऐसी वस्तुएँ जिनका लेना व्यवहार में चोरी नहीं समझा जाता, लेनी पड़े तो आगार।
- 3. मार्ग में गिरी हुई वस्तु, भूली-भटकी वस्तु जिसके मालिक का पता लगाना सम्भव न हो तो ऐसी वस्तु रखने का आगार।
- 4. भूमि में गड़ा हुआ धन यदि हाथ में लगे और उसका मालिक नहीं मिले तो उसका कछ भाग धर्मार्थ में लगाकर शेष रखने का आगार।
- 5. आयकर, बिक्रीकर (GST), संपदाकर, उपहार कर आदि की पूर्ण पालना अपरिहार्य स्थितियों में नहीं कर पाऊँ तो उसका आगार।

### अचौर्य अणुव्रत की शिक्षाएँ

- 1. चोरी दो तरह की होती है। एक तो चोर की भाँति मालिक की अनुपस्थिति में रात्रि आदि के समय सेंध लगाकर या ताला तोड़कर चोरी की जाती है दूसरी साहूकारी ढंग से चोरी, जो दिन दहाड़े लूटता है। भोले लोगों की आँखों में धूल झोंकता है। रिश्वत लेना, ज़मीन दबाना भी चोरी है। श्रावक को दोनों प्रकार की चोरी से बचना चाहिए।
- 2. धर्म और अर्थ की सिद्धि के लिए सदा अचौर्य और प्रामाणिकता का व्यवहार करना चाहिए।
- 3. हे आत्मन् ! दुश्मन के दूत के समान अन्याय और अनीति से प्राप्त

धन तिजोरी में जाते ही तेरे सर्वस्व को लूटने लग जाता है। कहा है भी है-

### अनीति से धन होत है, वर्ष पाँच और सात। तुलसी द्वादश वर्ष में, जड़ामूल से जात।।

अर्थात् अन्याय और अनीति से उपार्जित धन बारह वर्ष तक ही टिकता है, तेरहवें वर्ष में प्रवेश करते ही समूल नष्ट हो जाता है। अतः श्रावक को अन्याय से धनोपार्जन कभी नहीं करना चाहिए। प्रतिज्ञा-उपर्युक्त प्रकार से मैंने जो आगार रखे हैं, उसके उपरान्त स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत को ग्रहण करता हूँ।

दिनाङ्क हस्ताक्षर

## चौथा स्थूल मैथुन-विरमण-व्रत ब्रह्मचर्य अणुव्रत की प्रतिज्ञा

द्रव्य से-पञ्चेन्द्रियजन्य काम भोग से निवृत्त होकर आत्मस्वरूप में रमण करना मेरा लक्ष्य है। उसकी पूर्ति के लिए स्वयं की विवाहित पत्नी/पित का आगार रखकर शेष सभी स्त्रियों/पुरुषों को माता/पिता, बहन/भाई के समान समझूँगा/समझूँगी। क्षेत्र से-मेरे मर्यादित क्षेत्र में, जहाँ भी मैं निवास करूँ। काल से-जीवन पर्यन्त मैथुन सेवन का उक्त मर्यादा से त्याग करता/करती हूँ। भाव से-मनुष्य, तिर्यञ्च सम्बन्धी एक करण एक योग से एवं देव-देवी सम्बन्धी दो करण तीन योग से काम-भोग का त्याग करता/करती हूँ।

### ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचार (दोष)

- 1. इत्तरियपरिग्गहियागमणे-अल्पवय वाली पाणिगृहीता स्वस्त्री/ स्वपति के साथ गमन नहीं करूँगा/करूँगी।
- 2. अपरिग्गहियागमणे-जिसके साथ अभी तक विवाह नहीं हुआ है, केवल सगाई हुई है। ऐसी स्त्री अथवा पति के साथ गमन नहीं करूँगा /करूँगी।

- 3. अनङ्ग क्रीड़ा-काम-सेवन योग्य अङ्गों के सिवाय काम क्रीड़ा नहीं करूँगा/करूँगी।
- 4. परविवाहकरणे-अपनी जिम्मेदारी के अलावा अन्यों का विवाह-नाता नहीं कराऊँगा/कराऊँगी।
- 5. कामभोगातिव्वाभिलासे-काम-भोग की तीव्र अभिलाषा न रखूँगा/ रखूँगी एवं कामोत्पादक गरिष्ठ पदार्थों का सेवन भी नहीं करूँगा/ करूँगी।

# ब्रह्मचर्य अणुव्रत के आगार (छूट)

व्रत-पच्चक्खाण के दिन तिथि एवं तारीख का पता नहीं लगने पर अगर भूल हो जाय तो द्सरे दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना।

#### विशेष नियम

- 1. भारत वर्ष के सिवाय अन्य किसी भी देश की स्त्री के साथ विवाह नहीं करूँगा तथा भारत वर्ष में भी समान कुल, समान जाति की कन्या से ही विवाह करूँगा।
- 2. परस्त्रीगमन, वेश्यागमन नहीं करूँगा।
- 3. कामेच्छा की वृद्धि करने हेतु पुष्टिकारक औषध का सेवन नहीं करूँगा/करूँगी।
- किसी अन्य स्त्री/पुरुष के साथ एकान्त में नहीं रहूँगा/रहूँगी।
- 5. मैं इतने ( ) वर्ष की अवस्था के पहले विवाह नहीं करूँगा/ करूँगी।
- 6. मैं इतने ( ) वर्ष के ऊपर अपनी स्त्री/पित का वियोग होने पर एक या से अधिक विवाह नहीं करूँगा/करूँगी।
- 7. मैं वेश्या का नृत्य न कराऊँगा/कराऊँगी और न देखूँगा/देखूँगी।
- 8. मैं दिन में मैथुन सेवन नहीं करूँगा/करूँगी। सृष्टि-विरुद्ध कार्य नहीं करूँगा/करूँगी।
- मैं अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा तिथि में ब्रह्मचर्य पालूँगा/पालूँगी।

- 10. मैं पत्नी/पति के रहते दूसरी शादी नहीं करूँगा/करूँगी।
- 11. मैं गन्दे साहित्य का वाचन नहीं करूँगा/करूँगी।
- 12. मोबाइल पर गन्दे अश्लील विडियों नहीं देखूँगा/देखूँगी। प्रेषित नहीं करूँगा/करूँगी।
- 13. प्राकृतिक अङ्गों के सिवाय सब अनङ्ग हैं, उनसे काम-क्रीड़ा नहीं करूँगा/करूँगी।
- 14. देव, तिर्यञ्च, वेश्या, परस्त्री, विधवा, कुँवारी का पूर्ण त्याग (विकारी दृष्टि छोड़ पवित्र भाव रखे। माँ, बहन, बेटी, सती, साध्वी समझे)
- 15. इतनी उम्र ( ) तक और इतने उम्र ( ) के बाद शील पालूँगा।
- 16. बाल और वृद्ध-विवाह नहीं कराऊँगा।

उपदेश-भगवान महावीर ने 'तवेसु वा उत्तमं बंभचेरं' कहा है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना सर्वश्रेष्ठ है।

### ब्रह्मचर्य अणुव्रत की शिक्षाएँ

- 1. ब्रह्मचर्य व्रत वीर्यरक्षा, शरीरबल, मनोबल और आत्मबल की वृद्धि करने वाली अमोघ, अमूल्य औषधि है।
- 2. मर्यादित दिनों में भी शरीर की सुरक्षा की दृष्टि से एक रात्रि में एक बार से अधिक कामसेवन नहीं करना चाहिए।
- 3. अपनी सन्तान का विवाह बाल्यावस्था में नहीं करना चाहिए।
- 4. अश्लील गाली और असभ्य वचन नहीं बोलना चाहिए।
- विशेष कारण बिना अविश्वासी पुरुष/स्त्री के घर नहीं जाना चाहिए।
- व्यिभचारी और विषयलोलुपी पुरुष/स्त्री की संगति नहीं करनी चाहिए।
- 7. विकार दृष्टि से 'स्त्री' को परपुरुष के और 'पुरुष' को परस्त्री के अङ्गोपाङ्ग नहीं देखना चाहिए।
- 8. बिना कार्य रात्रि में या असमय में जहाँ-तहाँ नहीं भटकना चाहिए।

- 9. पुरुष को स्त्री-समूह में और स्त्रियों को पुरुष-समूह में विशेष हैं कारण बिना नहीं बैठना चाहिए।
- 10. जहाँ स्त्री पुरुषों का संघर्षण (शरीर स्पर्श ) होता हो, ऐसे मेलों में/ बाजारों में नहीं जाना चाहिए।
- 11. विषय-लालसा बढ़ाने वाले नाटक, विडियो, मूवी आदि नहीं देखना चाहिए।
- 12. विकार को उत्पन्न करने वाले वस्त्र, आभूषण नहीं पहनने चाहिए।
- 13. शृङ्गार-रस के गायन नहीं गाने चाहिए।
- 14. कामविकार उत्पन्न करने वाले स्त्री/पुरुष के चित्र अपने मकान में नहीं रखने चाहिए।
- 15. स्त्रियों/पुरुषों में राग बढ़ाने वाली कथा-वार्ता नहीं करनी चाहिए।
- 16. शीलव्रत के नियम वाले को अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि दिनों में अपनी सोने की शय्या दूर रखना चाहिए क्योंकि निमित्त मिलने पर व्रत-भङ्ग का पूरा भय रहता है तथा नियम वाले दिनों में विषयवर्द्धक भोजन नहीं करना चाहिए।
- 17. एक बार मैथुन सेवन करने से समूर्च्छिम जीवों के साथ नौ लाख संज्ञी पञ्चेन्द्रिय मनुष्यों तक की भी घात हो सकती है। अतः जितना त्याग किया जाय, वही श्रेष्ठ है।
- 18. गेम्स-रिसोर्ट्स, स्वीमिंग क्लब आदि जहाँ स्त्री-पुरुष के एक साथ खेल, स्नानादि होते हैं, वहाँ नहीं जाना चाहिए।
- 19. टेलिफोन, मोबाइल पर अश्लील चर्चा नहीं करनी चाहिए।
- 20. विवाह से पूर्व विशेष परिचय, साथ घूमना, प्री-वेडिंग शूट, मोबाइल पर लम्बी बात आदि से बचना चाहिए।

प्रतिज्ञा-उपर्युक्त प्रकार से मैंने जो आगार रखे हैं, उसके उपरान्त स्थूल मैथुन विरमण व्रत को ग्रहण करता हूँ।

दिनाङ्क हस्ताक्षर

# पाँचवाँ स्थूल परिग्रह-विरमण-व्रत अपरिग्रह अणुव्रत की प्रतिज्ञा

द्रव्य से-नौ प्रकार के बाह्य परिग्रह की निम्न प्रकार से मर्यादा करता/करती हूँ। क्षेत्र से-समस्त लोक के द्रव्यों की निम्न प्रकार से मर्यादा करता/करती हूँ और मर्यादा से बाहर के क्षेत्र में सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करता/करती हूँ। काल से-जीवन पर्यन्त। भाव से-चार कषाय, नौ नोकषाय तथा मिथ्यात्व इस प्रकार चौदह प्रकार के आभ्यन्तर परिग्रह से निवृत्त होने का मुख्य लक्ष्य रखते हुए एक करण तीन योग से त्याग करता/करती हूँ।

### अपरिग्रह अणुव्रत के अतिचार

- 1. खेत्तवत्थुप्पमाणाइक्कमे-खुली या ढँकी ज़मीन की जितनी मर्यादा की है, उसके उपरान्त रखना।
- 2. हिरण्णसुवण्णप्पमाणाइक्कमे-सोना, चाँदी आदि की जितनी मर्यादा की है, उसके उपरान्त रखना या दूसरों के नाम चढ़ाना।
- 3. धणधण्णप्पमाणाइक्कमे-धन-धान्य के परिमाण के उपरान्त रखना तथा दूसरों के नाम रखना
- 4. दुप्पयचउप्पयप्पमाणाइक्कमे–दुपद–नौकर–चाकर (दास–दासी), चउप्पद–गाय, भैंस, घोड़ा, ऊँट आदि जानवर परिमाण के उपरान्त रखना।
- 5. कुवियप्पमाणाइक्कमे-ताम्बा, पीतल, फर्नींचर, वाहन आदि कुविय धातु या वस्तु मर्यादा उपरान्त रखना।

### अपरिग्रह अणुव्रत के नियम

नोट-जितने नियमों का पालन करना हो, उनके आगे के कोष्ठक ) में परिमाण लिखें।

- 1. क्षेत्र-खेतीबाड़ी की जमीन, खाली प्लॉट, बाग-बगीचे, कुए, बावड़ी हैं आदि यदि रखना पड़े तो बीघा ( ) तक अथवा गिरवी रखना पड़े तो बीघा ( ) तक की मर्यादा करता/करती हूँ।,
  - वास्तु-घर, दुकान, ऑफिस, गोदाम, बाड़ा, मिल, कारखाने नग
     ( ) से ज्यादा नहीं रखूँगा/रखूँगी। गिरवी रखना हो तो ( )
     से ज्यादा नहीं रखूँगा/रखूँगी।
  - 3. धन-रुपये, पैसे आदि रोकड़ मेरे नाम पर कुल सम्पत्ति रुपये ( ) से ज्यादा नहीं रखूँगा/रखूँगी।
  - 4. धान्य-चौबीस प्रकार का अनाज एक वर्ष के लिए ( ) से ज्यादा नहीं रखूँगा/रखूँगी और व्यापार के निमित्त एक वर्ष में ( ) से ज्यादा नहीं रखूँगा/रखूँगी।
  - दुपद-घर में काम के लिए तथा व्यापार के लिए नौकर-नौकरानी, मुनीम वगैरह वर्ष में ( ) से ज्यादा नहीं रखूँगा/रखूँगी।
  - चतुष्पद-गाय, भैंस, घोड़ा, ऊँट, बैल, बकरी आदि चार पाँव वाले जानवर ( ) से ज्यादा नहीं रखूँगा/रखूँगी।
  - 7. हिरण्य-सुवर्ण-सोना ( ), चाँदी ( ), हीरा, पन्ना, माणिक, मोती आदि जवाहरात ( ) से ज्यादा नहीं रखूँगा/रखूँगी।
  - 8. कुविय धातु-ताम्बा, पीतल, स्टील, कांस्य, लोहा आदि ( ) से ज्यादा नहीं रखूँगा/रखूँगी।
  - वाहन–कार, जीप, ट्रक, स्कूटर, रिक्शा, साईकल आदि ( ) से ज्यादा नहीं रखूँगा/रखूँगी।
  - 10. विडियो, टी.वी., फ्रीज, वाशिंग मशीन, डिशवाशर, अलमारी इत्यादि आधुनिक घरेलू सामान ( ) का रखने, मील, जीन, प्रेस आदि रखना पड़े तो नग ( ) से ज्यादा नहीं रखूँगा/रखूँगी।

- 🕅 11. कपड़े और किराणा आदि का व्यापार करना पड़े तो नग दुकान 🕅 ( ) से ज्यादा नहीं रखूँगा/रखूँगी।
  - 12. मनिहारी सामान, काँच आदि का व्यापार करने पड़े तो ( ) से ज्यादा नहीं रखूँगा/रखूँगी।

#### अपरिग्रह अणुव्रत के आगार

- 1. उपहार की वस्तु या ऋण दी हुई वस्तु के बदले में कोई दूसरी वस्तु आ जाय तो आगार है।
- दया-दृष्टि से किसी द्विपद, चतुष्पद को सहारा देना पड़े तो आगार है।
- 3. किसी सगे-सम्बन्धी की जायदाद आदि की व्यवस्था करनी पड़े तो आगार है।
- 4. किसी संस्था के ट्रस्टी या पंचायत के द्रव्यादि की रक्षा करनी पड़े तो आगार है।
- किसी कम्पनी का शेयर खरीदना पड़े, पार्टनरशिप रखनी पड़े, किसी योग्य व्यापार की दलाली करनी पड़े, व्यापारिक सलाह देनी पड़े तो आगार है।
- 6. चतुष्पद आदि परिवार बढ़े तो उसको रखने का आगार है।

# अपरिग्रह अणुव्रत की शिक्षाएँ

- इच्छा बढ़ाने से असंतोष और अशान्ति भी बढ़ती है, अतः शान्ति-सुख के लिए इच्छा को घटाना चाहिए।
- अपने कुटुम्ब के निर्वाह के साथ-साथ परमार्थ कार्य में भी द्रव्य लगाना चाहिए।
- 3. परमार्थ कार्य में द्रव्य खर्च करने की इच्छा से अनीति-अन्याय-पूर्वक द्रव्य पैदा नहीं करना चाहिए।
- 4. नीतिपूर्वक उद्योग करना चाहिए।

- 5. न्याययुक्त छोटे धन्धों की अपेक्षा अन्याययुक्त बड़े धन्धे महाभयंकर तथा अधोगति में पहुँचाने वाले हैं।
- 6. दुसरे की सम्पत्ति देखकर मन में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।
- 7. कसाई, खटीक आदि क्रूर हिंसक मनुष्यों को धन्धे के लिए रुपये उधार नहीं देना चाहिए अथवा उनके धन्धों को प्रोत्साहन मिले, ऐसा काम नहीं करना चाहिए।
- धर्म और आबरू की रक्षा न हो, ऐसे धन्धे तथा नौकरी नहीं करना चाहिए।
- 9. किसी के उधार लिये हुए द्रव्य को वापस नहीं देने की इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिए।
- 10. शक्ति से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए और न कंजूसी ही करनी चाहिए, लेकिन उत्तम कार्यों में यथाशक्ति अवश्य सहायता करनी चाहिए।
- 11. धर्मार्थ निकाला हुआ द्रव्य घर में नहीं रखना चाहिए, किन्तु उसको धर्मार्थ नियत कर देना चाहिए या धर्म-कार्य में खर्च कर देना चाहिए। यदि धर्मार्थ निकाले हुए द्रव्य का एक पैसा भी घर खर्च में आ जाय तो बड़ी भारी पूँजी को धक्का पहुँचा देता है।
- 12. लक्ष्मी चञ्चल है, इसलिए इसका अभिमान नहीं करना चाहिए, किन्तू विनीत और विवेकी बनकर लक्ष्मी का लाभ लेना चाहिए।
- 13. व्यापार अपनी पूँजी और हैसियत से अधिक नहीं करना चाहिए।
- 14. अतिसर्वत्र वर्जयेत्।

प्रतिज्ञा-उपर्युक्त प्रकार से मैंने जो आगार रखे हैं, उसके उपरान्त स्थूल परिग्रह विरमण-व्रत को ग्रहण करता हूँ।

दिनाङ्क हस्ताक्षर

#### दिशा–परिमाण–व्रत

#### दिशा-परिमाण गुणव्रत की प्रतिज्ञा

छठा

द्रव्य से-सभी दिशाओं से आने वाले पापास्रव को रोकने के लिए मर्यादित, क्षेत्र से-अपने मर्यादित क्षेत्र के अनुसार। काल से-जीवन पर्यन्त। भाव से-एक करण तीन योग से अर्थात् मन, वचन, काय से उक्त प्रकार की गई मर्यादा से अधिक न जाऊँगा/जाऊँगी।

### दिशा परिमाण व्रत के अतिचार (दोष)

- 1. उड्ढदिसिप्पमाणाइक्कमे-ऊँची दिशा के परिमाण से आगे जाना।
- 2. अहोदिसिप्पमाणाइक्कमे-नीची दिशा के परिमाण से आगे जाना।
- 3. तिरियदिसिप्पमाणइक्कमे-तिरछी दिशा की मर्यादा के उपरान्त जाना।
- खित्तवुड्ढी-एक दिशा के पिरमाण को घटाकर दूसरी दिशा में जोडना या सब दिशाओं का कि.मी. जोडकर एक दिशा में जोडना।
- सइअन्तरद्धा की हुई मर्यादा में संदेह होने पर आगे जाना।

#### दिशा परिमाण वृत के नियम

- 1. ऊँची दिशा-आकाश मार्ग से जाना पड़े तो कि.मी. ( )
- 2. **नीची दिशा**-खान, तहखाने, कुँआ, बावड़ी, तालाब, समुद्र आदि में उतरना पडे तो कि.मी. (
- 3. तिरछी दिशा-पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में भारत वर्ष या देश के बाहर जाना पड़े तो एक करण एक योग से जीवन पर्यन्त अथवा ( ) उपरान्त त्याग।
- 4. मर्यादित क्षेत्र के बाहर या भारत वर्ष के बाहर पत्र व्यवहार करना पड़े तो ( ) रखता हूँ।
- 5. दिशा की मर्यादा से बाहर जाने का सन्देह हो तो आगे नहीं जाऊँगा/जाऊँगी।

#### दिशा-परिमाण वृत के आगार

- 1. मैंने जिन दिशाओं की मर्यादा की है, उनके बाहर फोन या पत्र व्यवहार करना पड़े, माल मँगाना पड़े या भेजना पड़े, मुनीम या वकील को भेजना पड़े तो आगार है।
- राजा आदि की आज्ञा से अथवा आकस्मिक दैवी घटना से की गई मर्यादा का उल्लंघन हो जाय तो आगार है।
- 3. यदि धर्म-कार्य निमित्त मर्यादा से बाहर जाना पड़े, बीमारी के कारण तथा निद्राधीन या बेहोशी में मर्यादा का उल्लंघन हो जाय तो आगार है।
- 4. पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन चारों दिशाओं की जो मर्यादा बाँधी है, उसके अन्दर ही कोई जमीन यदि स्वाभाविक ऊँची, नीची हो और वहाँ जाना पड़े तो आगार है।

### दिशा-परिमाण व्रत की शिक्षाएँ

- हे आत्मन्! इस संसार में पिरभ्रमण करते हुए तुझे अनन्त कालचक्र व्यतीत हो गये हैं और एक आकाशप्रदेश भी ऐसा नहीं बचा जिसका तूने स्पर्श नहीं किया है, अतः अब शान्ति से स्थिरता के सिंहासन पर बैठकर आत्मानन्द का पान कर।
- बाहर में सुख की खोज करना मूर्खता है, अतः अपने निज घर में प्रवेश कर।
- 3. हे आत्मन्! तूने दिशाओं की मर्यादा करली है, तो अब उसके बाहर अपने मन को भी मत जाने दे। टेलिफोन, चिट्ठी, मैसेज का भी जहाँ तक बन सके विवेक रखना।

प्रतिज्ञा-उपर्युक्त प्रकार से मैंने जो आगार रखे हैं, उसके उपरान्त स्थूल दिशा-परिमाण-व्रत को ग्रहण करता हूँ।

दिनाङ्क हस्ताक्षर

# सातवाँ स्थूल उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत उपभोग-परिभोग-परिमाण गुणव्रत की प्रतिज्ञा

द्रव्य से-मैं निम्नानुसार छब्बीस बोलों की मर्यादा करता/करती हूँ एवं कर्मादान के व्यापारों का त्याग करता/करती हूँ। क्षेत्र से-अपने मर्यादित क्षेत्र के अनुसार। काल से-यावज्जीवन। भाव से- जो मर्यादा की है, उसके उपरान्त सबका एक करण तीन योग से त्याग करता/करती हूँ।

#### उपभोग-परिभोग-परिमाण वृत के अतिचार

सातवें व्रत के 20 अतिचार हैं। पाँच अतिचार भोजन सम्बन्धी हैं और 15 अतिचार व्यापार सम्बन्धी हैं।

#### भोजन सम्बन्धी अतिचार

- 1. सचित्ताहारे-जिस सचित्त वस्तु का त्याग किया है, वह अचित्त न हुई हो तो उसका आहार करना तथा मर्यादा से अधिक सचित्त वस्तु का भोग करना।
- 2. सचित्त-पडिबद्धाहारे-सचित्त से मिली अचित्त वस्तु का आहार करना।
- अप्पउली-ओसिहभक्खणया-अधूरे पके हुए पदार्थ का आहार करना।
- 4. दुप्पउली-ओसहिभक्खणया-अविधि से पकाया ह्आ आहार करना।
- तुच्छोसिह-भक्खणया-जिस वस्तु में खाने योग्य भाग थोड़ा हो और फैंकने योग्य भाग अधिक हो, ऐसी वस्तु का आहार करना।

#### उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत में 26 बोलों की मर्यादा-

1. **उल्लिणयाविहि**-शरीर पोंछने के टोवल, रुमाल, नेपिकन आदि। एक दिन में नग ( ) तक तथा इतनी ( ) कीमत तक के।

- 2. दंतणविहि-दतौन (दाँतुन) टूथपेस्ट, पावडर या किसी पेड़ का दाँतुन सचित्त ( ) अचित्त ( ) प्रतिदिन ( ) जाति। (परिशिष्ट 'च' में देखें)
- 3. फलविहि-फल के प्रकार तथा नहाने-धोने के काम में आने वाले आँवला, अरीठा आदि फल की जाति ( ) प्रतिदिन ( ) वजन तक।
- 4. **अब्भंगणविहि**–तेल, इत्र की जाति ( ) प्रतिदिन वजन ( ) तक।
- 5. **उवट्टणविहि**-पीठी, दही, साबुन, मिट्टी, शिकाकाई, साजीखार, आदि शरीर पर लेप करने की वस्तुएँ प्रतिदिन वजन () तक।
- 6. **मज्जणविहि**-स्नान करने की मर्यादा प्रतिदिन ( ) एक मास में ( ) एक वर्ष में ( ) बार तक, एक बार के स्नान में पानी ( ) लीटर तक। नदी, तालाब आदि में स्नान का त्याग, अष्टमी, चतुर्दशी, पक्खी को त्याग, बाहर गाँव और मरण प्रसङ्ग में स्नान करना पड़े तो आगार।
- 7. **वत्थविहि**-पहनने, ओढ़ने तथा काम में आने वाले वस्त्र सूती नग ( ), रेशमी नग ( ), ऊनी नग ( ) प्रतिदिन ( ) जोड़ी से अधिक नहीं पहनूँगा/पहनूँगी।
- 8. विलेवणविहि-शरीर पर लेप करने के चन्दन, केसर, कपूर, तेल, स्नो क्रीम, वेसलीन, पावडर, लिपस्टिक, मेहन्दी, सेंट, इत्र आदि ( ) वजन ( ) तक प्रतिदिन।
- 9. **पुप्फविहि**-फूल (गुलाब, मोगरा, चम्पा, चमेली आदि) प्रतिदिन () बार से अधिक उपयोग नहीं। वर्ष में () बार उपरान्त त्याग। (परिशिष्ट 'छ' देखें)

- 10. **आभरणविहि**-पहनने के आभूषण-घड़ी, चैन, अँगूठी, बटन ेें आदि ( ) कीमत ( ) रुपये शृङ्गार निमित्त पहनने का त्याग, लेन-देन बेचने की बात अलग।
- 11. **धूवविहि**-धूप करना पड़े तो वर्ष में ( ) अगरबत्ती, लोबान, कपूर, घी, तेल वजन ( ) तक।
- 12. **पेज्जविहि**-पीने की वस्तु दूध, चाय, कॉफी, शर्बत, ज्यूस, कोल्ड्रिंक्स, आइस्क्रीम, छाछ, गुड़, शक्कर का पानी आदि की जाति ( ) वजन ( ) तक प्रतिदिन।
- 13. भक्खणविहि-खाने के लिए मिठाई तथा नमकीन आदि पदार्थों की जाति ( ) एक दिन में वजन ( ) तक।
- 14. ओदणविहि-चौबीस प्रकार के धान्य की मर्यादा वर्षभर में वजन ( ) तक। राँधने की मर्यादा-चावल, खीचड़ी, थूली आदि की एक दिन में वजन ( ) जाति ( ) तक।
- 15. सूपविहि- मूँग, मोठ, तुवर, उड़द, चना, मटर आदि दाल की जाति ( ) एक दिन में वजन ( ) तक।
- 16. विगयविहि-दूध, दही, घी, तेल, मीठा पाँच प्रकार के विगय हैं, उसमें प्रतिदिन ( ) तथा प्रतिदिन अमुक विगय ( ) का त्याग। महाविगय मक्खन, शहद का दवा के निमित्त आगार।
- 17. **सागविहि**-पूरी ज़िन्दगी में हरे शाक ( ), सूखे शाक ( ) फल ( ), फूल ( ), पान ( ), अचार ( ), कन्दमूल ( ) आदि की जाति ( ) वजन ( ) तक एवं दिन में जाति ( ) वजन ( ) तक ह्यांग। (परिशिष्ट क, ख, ग, घ में देखें)
- 18. **महुरविहि**-किशमिश (दाख), बादाम, पिश्ता, चारोली, छुहारे खुरबानी, पिण्डखजूर आदि मीठे फल की जाति ( ) तक एक दिन में वजन ( ) तक।

- 19. जीमणविहि-भोजन का परिमाण। सभी वस्तुएँ मिलाकर प्रतिदिन भोजन में ( ) किलोग्राम उपरान्त त्याग।
- 20. **पाणियविहि**-पीने के लिए पानी एक दिन में ( ) लीटर।
- 21. **मुखवासविहि**-पान, सुपारी, लौंग, इलायची, सौंफ, जायफल, चूर्ण आदि मुख को सुगंधित करने वाली वस्तु की जाति () एक दिन में () किलोग्राम।
- 22. वाहणविहि-घोड़ा, ऊँट, बैल, हाथी की सवारी एक दिन में या एक वर्ष में ( ) तक। ट्रेन, मोटर, कार, मेटाडोर, बस, लॉरी, रिक्शा, स्कूटर, साइकिल, घोड़ागाड़ी, रथ आदि ट्रेवल्स एक दिन में ( ) बार। हवाई जहाज, हेलिकॉप्टर, बैलून आदि एक वर्ष में ( ) बार।
- 23. **उवाणहविहि**-पाँव में पहनने के जूते-बूट, मोजे, चप्पल आदि () तक।
- 24. सयणविहि-सोने, बैठने के आसन, पलंग, खाट, कुरसी, टेबल, पट्टा, चौकी, सोफा, दिवान आदि एक दिन में ( ) तक।
- 25. सचित्तविहि-पानी, बर्फ, हरी वनस्पति, सचित्त फ्रूट, मेवा आदि सचित्त वस्तु की जाति ( ) एवं वजन ( )।
- 26. दव्वविहि-सचित्त, अचित्त इन दोनों जातियों के द्रव्य एक दिन में ( ) तक। उपर्युक्त छब्बीस नियमों में जो मर्यादा की है, उसके उपरान्त मन, वचन, काया से त्याग करता/करती हूँ। वस्तु को देखने,

चखने का आगार है एवं भूल-चूक दवा का आगार है।

# वनस्पति-मर्यादा पत्र

नोट:- 1. आपको आगार रखना हो उसके सामने (\*) का निशान कर गिनती कर शेष का त्याग कर लेवें।

> 2. चौबीस लाख कुल वनस्पित की क्रिया से बचने का सरल रास्ता अवश्य अपनाएँ।

## (परिशिष्ट 'क')

# हरी सब्जियाँ

	1. तोरु (तुरुई)	2. गिल्लिकतुरई	3. टिण्डसी (टिण्डे)
	4. भिण्डी	5. पत्तागोभी	6. फूल गोभी
	7. हराधनिया	8. पोदीना	9. पालक
	(कोतमली) कोथमीर	10. चन्दलिया	11. हरीमिर्च, लालमिर्च
	12. नींबू	13. बथुवा	14. करेला
	15. काचरा–काचरी	16. ग्वार की फली	17. मटर
	18. मक्का (भुट्टा)	19. टमाटर लाल	20. हरे चणे
	21. मूली का पत्ता	22. सॉंगरिया	(बूटा, छोला, गेघरा)
	23. मोगरियाँ	24. हरा आँवला	25. प्याज की पत्ती
	26. पान	27. परवल	28. तुलसी पत्ता
	29. गेहूँ का होला	30. हरी कत्ती रिन्दा	31. हरा टमाटर
	32. केरी	33. शिमला मिर्च	<b>34</b> . केर
		(हरी, लाल, पीली)	
	35. कटहल	36. अजवाइन के पत्ते	37. नींबू के पत्ते
	38. मीठे नीम के पत्ते	39. सूवा	40. सरसों के पत्ते
)	41. मेथी पत्ता	42. उड़द की फली	43. लहसुन के पत्ते

		~ dhe	
खीरा काकड़ी	45. केले का पत्ता	46. अफीम की पत्ती	
परवल की पत्ती	48. अस्कीरे (फान्सी	)	
ढाक के पत्ते	50. पोई के पत्ते	51. चवला की फली	
मोठ की फली	53. मूँग की फली	54. कद्दु (कोहला)	
मूँगफली	56. परमल की फली	57. खेजड़े की फली	
दक्षिण मटर की फ	ली	59. सोयाबीन	
बींस फली	61. वरल की फली	62. तुवर की फली	
बलर-की फली (र	वालोड की फली) सेम	64. बालोटा की फली	
ऑल, लोकी (दुधि	प, घीया) 66. बैंगन (बे	ांगलूर कत्तीरिका)	
तर काकड़ी	68. सहजना की फली	69. कच्ची ऐरण्ड	
चौलाई	71.केरून्दा(करौन्दा)	काकड़ी (हरी पपीता)	
कमल बीज फूल	73. फरासवीन	74. गाँठ गोभी	
लोभिया फली	76 कींकोड़ा (कंकेड़ा)	77. टोन्डीला	
78. बांवलिया (बबूल की पातड़ी) 79. हरी इमली (कटारा)			
गवार पाठा	81. बाजरी का सीट्टा	82. ज्वार का सीट्टा	
बोर	84. पुरजन	85. लाल गून्दा	
काबूली चणा	87. दोना पत्ता लहरा	88. चक्करी	
कुभटीया	90. लोनी	91. कुलफा	
मेथी	93. सरगवा की सींग	94. वेल पत्र (वील्व)	
सिन्दूरिया	96. गून्दिया	97. निम्बोली	
गुलाब के फूल	99. पोडलका	100. मुरंका	
101. फोग (गवारफली)102. चने की भाजी (पान्सी)			
3. अफीम के डोडे	104. फकोड़ा	105. कुदरूं	
6. पिलु जालिया	107. चाऊ चाऊ ता	108. ਫਾਰ	
	मोठ की फली मूँगफली दक्षिण मटर की फ बींस फली बलर-की फली (दुधि तर काकड़ी चौलाई कमल बीज फूल लोभिया फली बांवलिया (बबूल व गवार पाठा बोर काबूली चणा कुभटीया मेथी सिन्दूरिया गुलाब के फूल 1. फोग (गवारफली	परवल की पत्ती 50. पोई के पत्ते मोठ की फली 53. मूँग की फली मूँगफली 56. परमल की फली बींस फली 61. वरल की फली बलर – की फली (वालोड की फली) सेम ऑल, लोकी (दुधि, घीया) 66. बैंगन (बें तर काकड़ी 68. सहजना की फली चौलाई 71.केरून्दा(करौन्दा) कमल बीज फूल 73. फरासवीन लोभिया फली 76.कींकोड़ा (कंकेड़ा) बांवलिया (बबूल की पातड़ी) 79. हरी इन् गवार पाठा 81. बाजरी का सीट्टा बोर 84. पुरजन काबूली चणा 87. दोना पत्ता लहरा कुभटीया 90. लोनी मेथी 93. सरगवा की सींग सिन्दूरिया 96. गून्दिया गुलाब के फूल 99. पोडलका 1. फोग (गवारफली)102. चने की भाजी (	

109. कुम्हड़ 110. गुन्दा 111. गोयली

112. चील 113. हरी काली मिर्च 114. खेत काकड़ी

115. हरि कत्तीरिका 116. लालकत्तीरिका 117. सिमेकत्तीरिका

### (परिशिष्ट 'ख')

# फल

1. आम (सभी जाति के) 2. केला (सभी जाति के)

3. जामफल (अमरूद) 4. पक्का पपीता (एरण्ड काकड़ी)

5. जामुन सफेद 6. सेव (सफरचंद),

7. नाशपाती (वनास्पति) ऐपल

8. खरबूजा 9. तरबूज 10. नारंगी

11. मौसम्बी 12. अंगूर हरा 13. दाड़म (अनार)

14. गन्ना 15. शहतूत 16. कच्चा नारियल

17. चीकू 18. अन्ननास 19. आलू बुखारा

20. खुरबानी (सूखी) 21. सीताफल 22. सिंघोड़ा

23. रस बेरी 24. बैर (बोर) 25. लीची

26. टिकीड़ी बोर 27. दिल्ली बोर 28. चेरी

29. रायणिया 30. हरी बदाम 31. हरी अंजीर

32. बिल (रस) 33. लींगू (ताड़ फल) 34. आडू

35. मंगूस 36. पलापलम्(पणस) 37. स्रती बोर

38. कबीट 39. राम फल 40. फालसा

	- Sult.
42. पील केट	43. कसेक
45. रायना	46. कपित्थ
48. कमरख	49. चकोतरा बिजोरा
51. तींबर	52. जालवृक्ष की फल
54. जामुन काला	55. लखवट
57. हरी सुपारी	58. हरी सोंफ
60. स्ट्राबेरी	61. सरदा
63. रानी मेवा	64. बाल्म काकड़ी
66. काला अंगूर	67. हरा काजू
69. मीठी इमली	70. कसेरू
72. गुन्दी	73. टीम्बरू
75. किवी	76. किन्नु
78. ऊटी एपल	
(परिशिष्ट 'ग')	
0.	
जमीकन्द	
2. प्याज	3. अदरक
5. मूली	6. सकरकंद
8. हरी हल्दी	9. रतालू
11. चुकन्दर	12. शलगम (बीटरूट)
14. सेवक लंग	15. सूरण
17. कुवार	18. बीट
	45. रायना 48. कमरख 51. तींबर 54. जामुन काला 57. हरी सुपारी 60. स्ट्राबेरी 63. रानी मेवा 66. काला अंगूर 69. मीठी इमली 72. गुन्दी 75. किवी 78. ऊटी एपल (परिशष्ट 'ग') जमोंकन्द 2. प्याज 5. मूली 8. हरी हल्दी 11. चुकन्दर 14. सेवक लंग

### (परिशिष्ट 'घ')

- 1. केरी का अचार 2. गुंदे का अचार 3. मिरची का अचार

- 4. नींबू का अचार 5. काचरे का अचार 6. केर का अचार
- 7. ऑवले का अचार 8. धनिये की चटणी 9. आम का अचार

### (परिशिष्ट 'च')

- 1. बबूल की दतौन 2. नीम की दतौन 3. बोरड़ी की दतौन
- 4. कपास झाड़ की दतौन 5. बड़ की दतौन 6. जामून की दतौन

### (परिशिष्ट 'छ')

- 2. मोगरा 3. चमेली 1. गुलाब 5. केवडा 4. चम्पा 6. कमल 9. कनेर 7. जुही 8. रातरानी 10. गेंदा 11 निशिगंध 12. मरुवा 13. बेला 14. मरेठी 15. सूर्यमुखी
- भारत में रहते हुए मैं उपर्युक्त (\*) निशान किये हुए (लीलोती) वनस्पति को छोडकर अन्य वनस्पति का जीवनभर के लिये अथवा 1 वर्ष के लिए देव, गुरु, धर्म की साक्षी से त्याग करता हूँ/करती हूँ।

दिनांक..... हस्ताक्षर.....

### कर्मादान

कर्मादान त्याग/आगार 1. इंगालकम्मे-कोयले बनाने, काँच बनाने सभी प्रकार की भट्टियाँ बनाकर चूना, ईंट बनाना आदि। आजीविका करने का त्याग(शादी ब्याह में आगार) 2. वणकम्मे-(वनकर्म) वन के वृक्ष उक्त व्यापार का आदि काटने का व्यापार करना। त्याग। (घर के घास काटने आदि का आगार) 3. साडीकम्मे-ताँगा, मोटर इत्यादि उक्त व्यापार बनाकर बेचने का व्यापार का त्याग। 4. **भाडीकम्मे-**ऊँट, घोडा तथा मोटरगाडी, इस व्यापार का कार, टैक्सी आदि को किराये पर देकर त्याग (घर, दुकान किराए पर देने का आगार) आजीविका कमाना। 5. **फोडीकम्मे**-जमीन के पेट फोडने का इस व्यापार का त्याग व्यापार, खनिज पदार्थ निकालना,(खेत, घर में तथा अनुकम्पावश कुआँ, बावड़ी आदि खुदवाना, हैण्डपम्प, अन्य स्थान पर कुआ नलकूप आदि लगाने का व्यापार करना। खुदवाने, बोरिंग करवाने का आगार)। 6. **दंतवाणिज्जे** – हाथीदाँत, शंख, हड्डी, इस व्यापार का पूर्ण त्याग। आदि का व्यापार। 7. लक्खवाणिज्जे-लाख का व्यापार इस व्यापार का पूर्ण त्याग। करना।

- 8. **रसवाणिज्जे**–मद्य आदि नशीले पदार्थ इस व्यापार आदि का व्यापार। का पूर्ण त्याग
- 9. विसवाणिज्जे-खार, अफीम इत्यादि पूर्णतया त्याग।

विषैले पदार्थों का व्यापार।

- 10. **केसवाणिज्जे** चमड़ी, पशुओं के केश पूर्णतया त्याग। आदि का व्यापार।
- 11. जन्तपीलणकम्मे-मिल, चरखा छापाखाना, दालमिल छापाखाना आदि का व्यापार। आदि व्यापार के अलावा शेष व्यापार का त्याग।
- 12. निलंछणकम्मे-पशु और मनुष्य के अवयव पूर्णतया त्याग। छेद कर नपुंसक बनाने का व्यापार।
- 13. **दवग्गिदावणया**-वन में आग लगाने पूर्णतया त्याग। का व्यापार।
- 14. **सरदहतलाय-सोसणया-** नदी, तालाब, पूर्णतया त्याग। सरोवर आदि को सुखाने का व्यापार।
- 15. असइजण-पोसणया-आजीविका के लिए पूर्णतया त्याग। दुराचारिणी स्त्रियों का पोषण करना तथा कुत्ते, बिल्ली, तीतर, बाज आदि हिंसक प्राणियों का शिकार निमित्त पोषण करना।

### उपभोग-परिभोग परिमाण वृत के नियम

- 1. मैं हरे शाक के व्यापार तथा अचार, मुख्बा बनाकर व्यापार करने का त्याग करता/करती हैं।
- 2. मैं फूलों के शाक नहीं खाऊँगा/खाऊँगी, क्योंकि फूल में त्रस जीव रहते हैं।
- 3. मैं बाजार का अचार नहीं खाऊँगा/खाऊँगी और घर का बना

- हुआ अचार भी अधिक काल का अर्थात् दिन ( ) से ज्यादा दिन का नहीं खाऊँगा/खाऊँगी।
- 4. मैं कन्दमूल का भक्षण नहीं करूँगा/करूँगी, क्योंकि कन्दमूल में अनन्त जीव होते हैं।
- 5. लोहार, सोनार, ठठेरा, छीपा, नीलगर, रंगरेज, धोबी आदि का धन्धा नहीं करूँगा/करूँगी। यदि इनकी बनाई हुई वस्तुएँ बेचनी पड़े तो उसका आगार है।
- 6. लखारा, भड़भूँजा, चूनीगर, भटियारा आदि का काम न करूँगा/ करूँगी और न करवाऊँगा/करवाऊँगी। घर खर्च के लिए छूट।
- 7. मैं नाटक, सर्कस, नट और बाजीगर का खेल, ख्याल (रम्मत) भाँडचेष्टा, गायन आदि करके या दूसरों से करा के आजीविका नहीं करूँगा/करूँगी।
- 8. मैं कसाई, खटीक, चमार, कलाल, चाण्डाल आदि को ब्याज से रुपये उधार नहीं दूँगा/दूँगी और न इनके साथ व्यापार करूँगा/ करूँगी।
- 9. मैं मिट्टी के खिलौने बनाकर नहीं बेचूँगा/बेचूँगी।
- 10. मैं हिंसक अस्त्र-शस्त्र न बनाउँगा/बनाउँगी।
- 11. मैं नहर-नदी का पुल, नाव, स्टीमर, जहाज आदि नहीं बनाऊँगा/ बनाऊँगी तथा इनको बनवाने का ठेका नहीं लूँगा/लूँगी और न इनसे भाड़ा कमाऊँगा/कमाऊँगी।
- 12. मैं शर्बत बनाने या वनस्पति, अर्क निकालने का अथवा तम्बाकू बनाने का धन्धा नहीं करूँगा/करूँगी।
- 13. मैं चूहे आदि जन्तुओं को पकड़ने के, तोते, मैना आदि प्राणियों को बन्द रखने के पींजरे बनाने और बेचने का धन्धा नहीं करूँगा/ करूँगी।

# उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत के आगार (छूट)

- 1. अपने या किसी सम्बन्धी के बच्चे आदि का नाक, कान बिंधाना पडे तो आगार।
- 2. मैंने पहनने, ओढ़ने, बिछौने के कपड़ों की जो मर्यादा की है, उसके उपरांत किसी कपड़े का शरीर से स्पर्श हो जाय तो आगार।
- 3. यद्यपि नशे की चीज शौक से नहीं पीऊँगा। तथापि रोगादि विशेष कारण से यदि दवाई में पीना पड़े तो आगार।
- 4. जो मैंने हरे शाक, फल आदि का त्याग किया है, उसमें से भी यदि औषधि आदि में जरूरत पड़े तो आगार।
- 5. यदि त्याग की हुई वस्तु का भूल से मिश्रण हो जावे, अनजान में या उपयोग नहीं रहने से वह वस्तु काम में आ जावे, लग्न एवं मृत्यु के समय तथा किसी उत्सव पर या दुष्काल के समय त्याग की हुई वस्तु का इस्तेमाल करना पड़े तो आगार है।
- 6. सूखी लकड़ी या सूखे घास का व्यापार करना पड़े तो आगार है।
- 7. मिल, प्रेस आदि में काम आने वाले सामान का व्यापार करना पड़े तो आगार है।
- 8. जो मैंने जूते की मर्यादा की है, उसमें यदि जूता खो जाने पर फिर नया पहनना पड़े तो आगार है।
- 9. रोगादि तथा शारीरिक कारण से मर्यादा के बाहर की वस्तुएँ काम में लाना पड़े तो आगार है।

### उपभोग-परिभोग व्रत की शिक्षाएँ

1. रात्रि में या अँधेरे में भोजन नहीं बनाना चाहिए और न ही करना चाहिए, क्योंकि रात्रि और अँधेरे में छोटे-छोटे जन्तु नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए उनकी रक्षा होना असम्भव है। इसके सिवाय किसी जहरीले जानवर के गिरने से शरीर को हानि पहुँच सकती है।

- 2. हलवाई का धन्धा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस धन्धे में चींटी, मक्खी, चींटे, मच्छर आदि जीवों का घात होता है।
- 3. परिमाण से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए तथा बार-बार भोजन नहीं करना चाहिए। अनियमित भोजन करने से शरीर बिगड़ता है, आदत खराब होती है तथा अजीर्ण आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं।
- 4. अधिक समय का अचार, मुरब्बा और शर्बत काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं।
- 5. अनजाना फल या अज्ञात वस्तु नहीं खानी चाहिए।
- 6. जहाँ तक बन सके ऐसी दवा नहीं खानी चाहिए, जिसमें मद्य, मांस की आशंका हो।
- 7. नियमित समय पर खाना-पीना चाहिए। ऐश-आरामी (विलासी) नहीं बनना चाहिए।
- 8. जिन वस्तुओं पर चींटियाँ चढ़ती हैं, मक्खियाँ बैठती हैं अथवा जिस त्रस वस्तु से हवा बिगड़ती है, उनको मार्ग में नहीं डालना चाहिए, किन्तु राख, धूल आदि में लपेटकर जन्तुरहित एकान्त स्थान पर डालना चाहिए, जिससे किसी को हानि न हो।
- 9. फूलों को नहीं सूँघना, क्योंकि वनस्पति की विराधना के साथ इनके सूक्ष्म जन्तु नाक द्वारा मस्तक में जाकर रोग उत्पन्न करते हैं।
- 10. जहाँ तक बन सके बाजार की मिठाई, पूड़ी आदि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उन चीजों में घी आदि शुद्ध न होने से स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है तथा हलवाई के यहाँ आटा, मैदा बहुत दिन का रहता है, जिसमें इल्ली आदि जीव पड़ जाते हैं और बिना छना आटा, पानी काम में लेते हैं इसलिए वे चीजें अशुद्ध होती हैं।
- 11. लाख का व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाख में असंख्य त्रस जीव रहते हैं।

- 12. रेशम या रेशमी कपड़ों का व्यापार नहीं करना चाहिए और न ही <sup>१</sup> उनको काम में लाना चाहिए। क्योंकि आजकल कीड़ों को उबाल कर रेशम बनाया जाता है। ऐसे मोती नहीं पहनने चाहिए, जो मछली, सर्प आदि जीवों को मारने से प्राप्त होते हैं।
- 13. मधु (शहद) नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें छोटी–छोटी मक्खियाँ और मक्खियों के अण्डे भी प्राय: आ जाते हैं।
- 14. अचार और मुरब्बे में बहुत जल्दी जीव पैदा हो जाते हैं, इसलिए इनका ख्याल रखना चाहिए और बाजारू अचार और मुरब्बा नहीं खाना चाहिए।
- 15. कई पत्तियों पर त्रस जीव रहते हैं, इसलिए इसकी सावधानी रखनी चाहिए और सावन महिने में तो पत्ती का शाक नहीं खाना ही उचित है।
- 16. जिसको हरे शाक का त्याग हो, उसे सूखे–हरे साग का भी त्याग करना चाहिए।
- 17. सुगन्धित या दुर्गन्धित वस्तु का धुआँ नहीं करना चाहिए क्योंकि धुएँ से मच्छर आदि त्रस जीव मर जाते हैं।

प्रतिज्ञा-उपर्युक्त प्रकार से मैंने जो आगार रखे हैं, उसके उपरान्त स्थूल उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत को ग्रहण करता हूँ।

दिनाङ्क हस्ताक्षर

### आठवाँ

### अनर्थदण्ड-विरमण वृत

# अनर्थदण्ड-विरमण-गुणव्रत की प्रतिज्ञा

द्रव्य से- निष्प्रयोजन अशुद्ध आचरण की निवृत्ति के लिए चारों प्रकार के अनर्थदण्ड का त्याग करता/करती हूँ । क्षेत्र से-सम्पूर्ण लोक प्रमाण। काल से- जीवन पर्यन्त। भाव से-प्रमाद एवं रागद्वेषादि

कषाय भावों को मन्द करने के लिए मैं आत्म-हितार्थ सम्यक् प्रवृत्ति करूँगा/करूँगी दो करण तीन योग से।

### अनर्थदण्ड के चार प्रकार

- 1. अवज्झाणाचिरए- (क) क्रोध, भय, दुःख इत्यादि कारणों से मन में ही किसी को दण्डित करने का विचार करना। (ख) आर्त्तध्यान-इष्ट-वियोग, अनिष्ट-संयोग, रोगादि के समय रोना तथा काम-भोगों को टिकाए रखने का चिन्तन करना। (ग) रौद्रध्यान-किसी को मारने या हानि पहुँचाने का विचार करना, विष खाकर, जल में डूबकर, अग्नि में जलकर पर्वतादिक से गिर कर आत्महत्या करना, झूठ बोलने में, चोरी करने में, परिग्रह रखने में आनन्द मानना और परिग्रह बढ़ाने का विचार करना रौदध्यान है।
- पमायाचिरए-प्रमाद के कारण रात्रि में बासी बरतन रखना। घी, तेल, दूध-दही आदि के बरतन खुला रखना तथा धर्मकरणी स्वयं नहीं करना एवं दूसरों को अन्तराय देना।
- 3. **हिंसप्पयाणे** हिंसाकारी शस्त्र, तलवार, भाला, बंदूक, कुदाल, फावड़ा, छुरी, मिक्सर आदि निरर्थक साधनों को बढ़ाना तथा दूसरों को देना।
- 4. **पावकम्मोवएसे-**पापकारी उपदेश और खोटी सलाह देना। साधु-श्रावक व्रतों से भ्रष्ट हो जाय, ऐसा उपदेश देना तथा मकान बनाने, कारखाना खोलने आदि की हिंसाकारी सलाह देना।

### अनर्थदण्ड-विरमण व्रत के अतिचार (दोष)

- 1. कंदप्पे-काम-विकार को उत्पन्न करने वाली कथा करना।
- कुक्कुइए-भाँडों की तरह आँख, नाक, मुख आदि अपने अङ्गों को विकृत करके दूसरों को हँसाने की कुचेष्टा करना।

- 3. मोहरिए-वाचालता से असत्य और ऊटपटाँग वचन बोलना।
- 4. संजुत्ताहिगरणे–हिंसाकारी औजारों का निष्प्रयोजन अथवा प्रयोजन से अधिक संग्रह करना।
- 5. उवभोगपरिभोगाइरित्ते-उपभोग-परिभोग में आने वाली वस्तुओं पर अति आसक्ति भाव रखना एवं अधिक संग्रह करना।

### अनर्थदण्ड-विरमण वृत के नियम

- 1. मैं निष्प्रयोजन जमीन नहीं खोदूँगा/खोदूँगी, पानी नहीं गिराऊँगा/ गिराऊँगी। आग नहीं जलाऊँगा/जलाऊँगी, वनस्पति का छेदन भेदन नहीं करूँगा/करूँगी।
- 2. मैं आतिशबाजी न करूँगा/करूँगी, न कराऊँगा/न कराऊँगी।
- 3. मैं धर्म, तपस्या का निदान नहीं करूँगा/करूँगी।
- 4. मैं होली नहीं खेलूँगा/खेलूँगी और न जलाऊँगा/जलाऊँगी।
- 5. दीक्षार्थी को अन्तराय नहीं दुँगा/दुँगी।
- 6. मैं पक्षियों के घोंसले, चूहों और चीटियों आदि के बिल तथा मधुमक्खियों के छत्ते आदि नहीं तुड़वाउँगा/तुड़वाउँगी।
- 7. मैं जुआँ, रेस आदि नहीं खेलूँगा/खेलूँगी।
- 8. शौक के लिए ऊँट, घोड़े, हाथी आदि जानवरों की सवारी नहीं करूँगा/करूँगी।
- 9. किसी को दुःख पहुँचे, ऐसी मजाक नहीं करूँगा/करूँगी।
- 10. पतंग नहीं उड़ाऊँगा/उड़ाऊँगी।
- 11. देखे बिना कोई वस्तु काम में नहीं लाऊँगा/लाऊँगी।
- 12. भण्डोपकरण वस्त्रादि को इधर-उधर खुले बिखेरकर नहीं रखूँगा/ रखूँगी।

- 13. मैं फुटबाल, क्रिकेट, कबड्डी, तैरना, कुश्ती आदि अनेक खेल कि नहीं खेलूँगा/खेलूँगी।
- 14. लग्न आदि किसी प्रसङ्ग पर लाईट, फूलों का डेकोरेशन नहीं कराऊँगा/कराऊँगी।
- 15. मरण प्रसङ्ग पर छाती-माथा कूटकर जोर-जोर से रुदन नहीं करूँगा/करूँगी।
- 16. मोसर तथा शोक मिलन में नहीं जीमूँगा/जीमूँगी।
- 17. सांसारिक आरम्भ के कार्य प्रीतिभोज, मकान आदि बनवा कर आसक्तिपूर्वक प्रसन्न नहीं होने का विवेक रखूँगा/रखूँगी। दूसरों के आरम्भ की प्रशंसा नहीं करने का विवेक रखूँगा/रखूँगी।
- 18. सिनेमा, थियेटर में जाकर पिक्चर देखने का त्याग या वर्ष में ( ) बार उपरान्त त्याग।
- 19. सर्कस, नाटक, जादू आदि टिकट लेकर देखने का त्याग या प्रतिवर्ष ( ) बार उपरान्त त्याग।
- 20. टी.वी., विडियो आदि महीने में ( ) दिन देखने-सुनने का त्याग। एक दिन में ( ) घण्टे से ज्यादा नहीं देखना। अपने हाथ से एक दिन में ( ) बार से ज्यादा नहीं चलाना।
- 21. सात कुव्यसन का त्याग। (मांसभक्षण, मद्यपान, द्यूतक्रीड़ा अथवा जुआ खेलना, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन, शिकार और चोरी)
- 22. गन्दे गीत गाने का त्याग।
- 23. विवाह आदि प्रसङ्गों में डान्स करने का त्याग।
- 24. पैसे घुमाकर मुफ्त में बाजे वाले को देने का त्याग।
- 25. पटाखे कभी भी भेंट में देने का त्याग।
- 26. जिन वस्तुओं में पञ्चेन्द्रिय जीव की घात होती है, ऐसी वस्तुएँ उपयोग में नहीं लूँगा/लूँगी।

- 27. भूरा (ब्राउन) निशान वाली खाद्य वस्तुओं/दवाओं का त्याग।
- 28. जिन वस्तुओं में अण्डा-मांस, चर्बी, जिलेटिन, मछली का पाउडर आदि मिक्स किया जाता है। जैसे-चिंगम, केडबरी, किटकेट, फाइवस्टार, चीज, कसाटा, वाडीलाल, क्वालिटी कम्पनियों की आइस्क्रीम, पेस्ट्री, केक, कैप्टन कुक आटा, डालडा घी, टूथपेस्ट, बिस्किट आदि इन्हें काम में नहीं लूँगा/लूँगी।
- 29. सौन्दर्य-प्रसाधन जानवरों को मारकर या उन पर प्रयोग करके बनाये जाते हैं। उनका उपयोग नहीं करूँगा/करूँगी।
- 30. हिंसाकारी साधन गिफ्ट नहीं दूँगा/दूँगी। जैसे-मिक्सर, सेल की घड़ी, प्रेस, चाकू, हीटर, फैन, लेम्प आदि।
- 31. मोबाइल, टेलिफोन आदि पर आवश्यक कार्य होने पर ही बात करना तथा दिन में ( ) घण्टे बात करने के उपरान्त का त्याग।

### अनर्थदण्ड-विरमण-व्रत के आगार-

- 1. लोक-व्यवहार से किसी का वियोग होने पर रुदन आदि आर्त्तध्यान करना पड़े तो मेरे आगार है।
- 2. वियोग होने पर मन वश में न रहने से, कोमल स्वभाव होने से यदि आर्त्त-रौद्रध्यान हो जाय तो छूट है।
- उपयोग न रहने से तेल, घी आदि के बर्तन उघाड़े रह जाय तो छूट है।
- 4. चाकू, छुरी सरौता, बर्तन आदि वस्तुएँ किसी स्वजन, सम्बन्धी को देनी पड़े तो आगार है।
- 5. स्वजन के हितार्थ, अनुकम्पा के निमित्त किसी काम का उपदेश या सम्मति देनी पड़े तो मेरे आगार है।

### अनर्थदण्ड-विरमण वृत की शिक्षाएँ

- अवकाश के समय गपशप नहीं करके सत्साहित्य का वाचन करना चाहिए। समाज, धर्म और देश की उन्नित के उत्तम कार्य करने चाहिए। धर्म क्रिया करते समय दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाय तो आर्त्तध्यान नहीं करना चाहिए।
- 2. किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किन्तु अपनी आत्मा को उन्नत करने वाले कार्य करते रहना चाहिए।
- दूसरों के द्वारा आचरित पाप-कार्यों में सहयोगी नहीं बनना चाहिए।
- 4. खाली दिमाग शैतान का घर होता है, अतः एक क्षण भी खाली नहीं बैठकर कुछ आत्मा को उन्नत बनाने वाले काम करते रहना चाहिए।
- 5. जासूसी उपन्यास, भड़कीले मेगजिन्स, शृङ्गार रस की कहानियाँ नहीं पढ़नी चाहिए। इण्टरनेट पर अश्लील चित्र आदि नहीं देखना चाहिए।
- 6. होली जलाना, होली खेलना, दीपावली पर पटाखे फोड़ना आदि अनेक आरम्भ-समारम्भ की क्रीड़ाएँ नहीं करनी चाहिए।
- 7. गैस जलाने से पहले उसे अच्छी तरह से देखना चाहिए। प्रतिज्ञा-उपर्युक्त प्रकार से मैंने जो आगार रखे हैं, उसके उपरान्त स्थूल अनर्थदण्ड-विरमण व्रत को ग्रहण करता हूँ।

दिनाङ्क हस्ताक्षर

### नवाँ

### सामायिक-वृत

### सामायिक शिक्षावृत की प्रतिज्ञा

द्रव्य से-जीवन में पूर्ण समभाव की प्राप्ति का लक्ष्य रखकर प्रतिदिन कम से कम एक अथवा महिने में ( ) सामायिक करूँगा/करूँगी। क्षेत्र से- अपने मर्यादित क्षेत्र में रहते हुए। काल से- ( ) पर्यन्त, कम से कम दो घड़ी (48 मिनट)। भाव से- राग-द्रेष, विषय-कषाय से युक्त सावद्य प्रवृत्ति का त्याग दो करण तीन योग से।

### सामायिक-वृत के अतिचार

- 1. मन से बूरा सोचना।
- 2. कठोर या पापजनक वचन बोलना।
- 3. काया से दुष्प्रवृत्ति करना।
- 4. सामायिक की आराधना अच्छी तरह से न करना।
- 5. समय पूरा न होने के पहले सामायिक पार लेना।

### सामायिक-वृत के नियम

- 1. सम्पूर्ण अशुभ और सावद्य क्रियाओं के त्याग रूप सामायिक हमेशा ( ) महीने में ( ) वर्ष में ( ) करूँगा/करूँगी।
- 2. सामायिक के बत्तीस दोषों का ज्ञान करके, टालने का विवेक रखुँगा/रखुँगी।
- 3. सामायिक में इधर-उधर की सांसारिक, राजनैतिक बातें नहीं करूँगा/करूँगी, अखबार नहीं पढूँगा/पढूँगी।
- 4. सामायिक के लिए उतारे हुए कपड़े, हवा में खूँटी पर लटका कर नहीं रखुँगा।
- 5. सामायिक में सैल की घड़ी का संघट्टा नहीं रखूँगा/रखूँगी। घड़ी में चाबी नहीं लगाऊँगा/लगाऊँगी।
- 6. सामायिक में खड़े-खड़े थूँकना नहीं, कोई वस्तु फैंकना नहीं, लघु शंका आदि खड़े-खड़े नहीं करूँगा।
- 7. सामायिक में घर दुकान के कार्य, फोन आदि का संकेत और चाबी वगैरह नहीं दूँगा/दूँगी।
- 8. सामायिक में लाईट, पंखे, कूलर, ए.सी. आदि का उपयोग नहीं करूँगा/करूँगी।
- 9. अव्रती के साथ खुले मुँह बात एवं उसका आदर-सम्मान नहीं करूँगा/करूँगी।
- सामायिक-काल में प्रेस में छापने के लिए लेख तैयार नहीं करूँगा/करूँगी।

- 11. सामायिक में प्रभावना, इनाम, सम्मान आदि स्वीकार नहीं करूँगा/ करूँगी।
  - 12. सामायिक व्रत विधि से लूँगा/लूँगी, विधि से पालूँगा/पालूँगी, विकथा, गप्पे, हँसी मजाक नहीं करूँगा/करूँगी।

### सामायिक वृत के आगार

बीमारी, परदेशगमन, पराधीनता, वृद्धावस्था, कोई सरकारी या लौकिक कार्य आ जाने पर आगार। किन्तु अन्य समय में पूरी कर दूँगा/दूँगी।

### सामायिक व्रत की शिक्षाएँ

- 1. विषय-विकार को उत्पन्न करने वाले उपकरण और वस्त्र नहीं रखने चाहिए। स्त्री/पुरुष आदि के विषयोत्पादक चित्र हों, ऐसे मकान में सामायिक नहीं करनी चाहिए।
- 2. सामायिक बत्तीस दोष टालकर करनी चाहिए।
- 3. सामायिक करने से श्रावक, श्रमण के समान हो जाता है, इसलिए श्रावक को बारम्बार सामायिक करनी चाहिए।
- 4. ग्रन्थ में लिखा है कि दो घड़ी समभाव युक्त सामायिक करने वाला श्रावक बानवें करोड़ उनसठ लाख पच्चीस हजार नौ सौ पच्चीस पल्योपम और एक पल्योपम के आठ भाग के तीन भाग सहित देव का आयुष्य बाँधता है।
- 5. सामायिक में सभी पाप-क्रियाओं से मुक्ति मिलती है। प्रतिज्ञा-उपर्युक्त प्रकार से मैंने जो आगार रखे हैं, उसके उपरान्त स्थूल सामायिक-व्रत को ग्रहण करता हूँ।

दिनाङ्क हस्ताक्षर

### दसवाँ देशावकाशिक व्रत देशावकाशिक शिक्षावृत की प्रतिज्ञा

द्रव्य से-संवर-धर्म की विशेष साधना करने हेतु भोगोपभोग वस्तुओं का एक दिन के लिए परिमाण करूँगा/करूँगी तथा प्रतिदिन चौदह नियम चितारूँगा/चितारूँगी। क्षेत्र से-एक दिन के लिए निर्धारित कित्र के अनुसार। काल से-जीवन पर्यन्त (प्रतिवर्ष या प्रतिमाह तक) भाव से-राग-द्रेषादि कषाय भावों को मन्द कर एक करण तीन योग से निरवद्य प्रवृत्ति करूँगा/करूँगी।

### देशावकाशिक वृत के अतिचार

- 1. आणवणप्पओगे-मर्यादित क्षेत्र से बाहर की वस्तु मँगाना।
- 2. पेसवणप्पओगे-किसी अन्य के साथ वस्तु को बाहर भिजवाना।
- 3. सद्दाण्वाए-शब्द करके संकेत करना।
- 4. रुवाणुवाए-रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट करना।
- 5. बहियापुग्गलपक्खेवे-कंकर आदि फैंककर दूसरों को बुलाना। व्रत का विषय-इस व्रत में दो प्रकार की मर्यादा की जाती है।
- (1) स्वेच्छा से अहोरात्रि तक छहों दिशाओं की मर्यादा करना।
- (2) दिशा मर्यादा के साथ द्रव्यादि (उपभोग-परिभोग) की मर्यादा करना। इस व्रत में छठे और सातवें व्रत का संकोच हो जाता है।

### देशावकाशिक वृत के नियम

- 1. दसवाँ व्रत वर्ष में ( ) करूँगा/करूँगी।
- 2. पर्व दिनों में यात्रा नहीं करूँगा/करूँगी।
- 3. चौमासे में विदेश गमन नहीं करूँगा/करूँगी।
- 4. नित्य चौदह नियम चितारूँगा/चितारूँगी।
- 5. दसवाँ व्रत लेने के बाद मर्यादित क्षेत्र के बाहर की वस्तु नहीं मँगवाऊँगा /मँगवाऊँगी।
- 6. भोजन करते समय द्रव्यों की निन्दा एवं प्रशंसा नहीं करूँगा/ करूँगी।
- 7. जूठा नहीं छोडूँगा/छोडूँगी।
- 8. मैं आज दिनांक ..... को दिशाओं में निम्न सीमा से अधिक

- नहीं जाऊँगा/जाऊँगी। ऊँची ( ), नीची ( ), पूर्व ( ), पश्चिम ( ), उत्तर ( ), दक्षिण ( )।
- 9. एक वर्ष में सुख-समाधि के साथ ( ) संवर जीवन पर्यन्त तक करूँगा/करूँगी।
- 10. रात्रि का 4 प्रहर का संवर ( ) करूँगा/करूँगी।
- 11. तीन मनोरथ का चिन्तन करूँगा/करूँगी।
- 12. प्रतिदिन सागारी संथारा करूँगा/करूँगी।

### आगार

असह्य बीमारी, वृद्धावस्था, यात्रा आदि इसी प्रकार कोई लौकिक कार्य हो तो आगार है।

### देशावकाशिक वृत की शिक्षाएँ

- सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
- 2. सर्वथा हरी का त्याग करना चाहिए।
- 3. सर्वथा कच्चे पानी का त्याग करना चाहिए।
- 4. चौविहार का पालन करना चाहिए। इन चारों खन्धों का पालन कर सके तो बहुत उत्तम, नहीं तो इनमें से हर एक नियम का प्रतिदिन पालन करना चाहिए। अनादि काल से परवशता के कारण विविध पदार्थों का भोग- उपभोग किया है। अब अपनी इच्छाओं को वश में कर सातवें व्रत में जो मर्यादा की है, उसमें हम संकल्प करें तो उससे भी कम हमारा काम चल सकता है। अतः एक अहोरात्रि पर्यन्त द्रव्य, क्षेत्र की मर्यादा करके आत्मिक सुख का अनुभव करें।

प्रतिज्ञा-उपर्युक्त प्रकार से मैंने जो आगार रखे हैं, उसके उपरान्त स्थूल देशावकाशिक व्रत को ग्रहण करता हूँ।

दिनाङ्क हस्ताक्षर

## ग्यारहवाँ

### प्रतिपूर्ण पौषधव्रत

### पौषध शिक्षावृत की प्रतिज्ञा

द्रव्य से -समिकत सिहत चारित्र गुण की विशेष पुष्टि करने तथा स्थिरता बढ़ाने के लिए मैं उपवास सिहत प्रतिपूर्ण पौषध व्रत की अहोरात्रि पर्यन्त साधना करूँगा/करूँगी। क्षेत्र से-अपनी मर्यादा अनुसार जिस क्षेत्र में निवास करूँ। काल से-जीवन पर्यन्त तक धारणा प्रमाणे। भाव से-क्षयोपशम भावपूर्वक दो करण तीन योग से सावद्य परिणामों का त्याग करता/करती हूँ।

### पौषध वृत के अतिचार

- अप्पडिलेहिय-दुप्पडिलेहिय-सेज्जासंथारए-शय्या-संथारा का प्रतिलेखन न किया हो या अच्छी तरह न किया हो।
- 2. अप्पमज्जिय-दुप्पमज्जिय-सेज्जा संथारए-शय्या-संथारा पूँजा न हो या अच्छी तरह से न पूँजा हो।
- 3. अप्पडिलेहिय-दुप्पडिलेहिय-उच्चार-पासवण-भूमि-लघुनीत और बड़ी नीत परठने की जगह का प्रतिलेखन न किया हो या अच्छी तरह न किया हो।
- 4. अप्पमिज्जय-दुप्पमिज्जय-उच्चार-पासवण-भूमि-परठने की भूमि पूँजी न हो या अच्छी तरह न पूँजी हो।
- 5. पोसहस्स सम्मं अणणुपालणया-पौषध व्रत का अच्छी तरह पालन नहीं किया हो।

### पौषध वृत के नियम

- महीने में अष्टमी, चतुर्दशी, पक्खी एवं पर्व के दिनों में पौषध
   ) करूँगा/करूँगी।
- 2. चौमासी, महावीर जयन्ती, पर्युषण पर्व, संवत्सरी को पौषध () करूँगा/करूँगी।
- 3. अष्ट प्रहर पौषध प्रतिवर्ष ( ) संख्या, प्रतिमास ( ) करूँगा/करूँगी।

- 4. चार/पाँच प्रहर पौषध प्रतिवर्ष ( ), प्रतिमास ( ) करूँगा/करूँगी।
- 5. उपवास प्रतिवर्ष ( ), प्रतिमास ( ) करूँगा/करूँगी।
- 6. आयम्बिल प्रतिवर्ष ( ), प्रतिमास ( ) करूँगा/करूँगी।
- 7. नींवी प्रतिवर्ष ( ), प्रतिमास ( ) करूँगा/करूँगी।
- 8. एकाशन प्रतिवर्ष ( ), प्रतिमास ( ) करूँगा/करूँगी।
- 9. पोरसी प्रतिवर्ष ( ), प्रतिमास ( ) करूँगा/करूँगी। 10. एकलठाणा प्रतिवर्ष ( ), प्रतिमास ( ) करूँगा/करूँगी।
- 11. प्रतिक्रमण प्रतिवर्ष ( ), प्रतिमास ( ) करूँगा/करूँगी।
- 12. एक वर्ष में शक्ति के अनुसार प्रतिपूर्ण पौषध ( ) और दया
  - ( ) करूँगा/करूँगी। किसी विशेष कारण से पौषध न बन सके तो एक पौषध के लाभ के बराबर 51 सामायिक करूँगा/करूँगी।
- 13. रात्रि संवर प्रतिवर्ष ( ), प्रतिमास ( ) करूँगा/करूँगी।

### पौषध वृत के आगार

बीमारी, यात्रा, वृद्धावस्था, सरकारी या लौकिक कारणों से पौषध नहीं हो सका तो 51 सामायिक या 1 बेला अथवा आठ दिन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा/करूँगी।

### पौषध की शिक्षाएँ और फल

- 1. कृष्णपक्ष (बदी) में द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी और अमावस्या ये छः दिन और इसी तरह शुक्ल पक्ष (सुदी) में पूर्णिमा तक छः दिन, इस तरह बारह तिथियों के दिन शक्ति अनुसार उपवास, आयंबिल, नीवी, एकाशन, पोरसी, नवकारसी या अभिग्रहादि रूप कोई भी नियम का पालन करना चाहिए।
- 2. पौषध-अवस्था में जैसे बने वैसे आत्मा को धर्मध्यान से पुष्ट करना चाहिए।
- वस्त्रादि ऐसे अल्पमूल्य के और सादे रहने चाहिये कि जिससे खुद को ममत्व (मूच्छा) पैदा न हो और देखने वाले को भी राग पैदा न हो।

- 4. मन, वचन, काय के शुभाशुभ सर्व व्यापारों से निवृत्ति को गुप्ति कहते हैं और शुभ व्यापार में प्रवृत्ति को समिति कहते हैं, समिति पाँच और गुप्ति तीन-अष्ट प्रवचन माता की आराधना पौषध-व्रत में विशेष करनी चाहिए।
- 5. अष्ट प्रवचन माता की आराधना से संवर-आते हुए नये अशुभ कमीं का रुक जाना और निर्जरा-पुराने बँधे हुए कमीं का निर्जरण-जीर्ण होकर खिर जाना, ये दोनों प्रवचन माता की आराधना से होते हैं और उसकी पूर्ण आराधना पौषध अवस्था में होती है। क्योंकि उस वक्त पौषध अवस्था में होने से प्राय: सर्वविरतिचारित्री के तुल्य है, इसलिए जैसे बने वैसे आराधना करनी चाहिए।
- 6. पौषध के विषय में बहुश्रुत ग्रन्थकारों ने फरमाया है कि एक प्रतिपूर्ण पौषध करने से करोड़ों वर्षों का नरक का अशुभ कर्म जो पहले बँधा हुआ है, कट जाता है।
- 7. प्रतिपूर्ण पौषध का सम्यक् प्रकार से पालन करने से आते हुए नये अशुभ कर्मों का संवर होता है, जिससे आत्मा भारी होकर अधोगित का भागी नहीं बनता। ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है कि पौषध से सत्ताईस सौ सतत्तर करोड़, सतत्तर लाख, सतत्तर हजार, सात सौ सतत्तर इतने पल्योपम और एक पल्य के नव भागों में से सात भाग परिमाण वाला शुभ देवगित का बंध पड़ता है। इसी तरह और भी कर्मों की शुभ प्रकृतियाँ बँधती हैं और उन कर्मों को देवगित में भोग कर मनुष्यभव प्राप्त करके मोक्ष का भागी बनता है।
- 8. पर्व तिथि के दिन तो कषाय, विषय, आहार, विभूषादि का सर्वथा त्यागकर चढ़ते परिणाम से दृढ़ता और एकाग्रता पूर्वक पौषध करना चाहिये, क्योंकि परभव के आयु का बन्ध प्राय: पर्व तिथि के दिनों में होता है, जिस पर कि आगामी भव का आधार है।

इसलिए जैसे बने वैसे पर्व के दिन सर्वविरति चारित्र तुल्य पौषध का पालन कर मनुष्य जन्म सुधारें।

प्रतिज्ञा-उपर्युक्त प्रकार से मैंने जो आगार रखे हैं, उसके उपरान्त स्थूल प्रतिपूर्ण पौषध व्रत को ग्रहण करता हूँ।

दिनाङ्क

हस्ताक्षर

### अतिथि-संविभाग वृत बारहवाँ अतिथि-संविभाग शिक्षावृत की प्रतिज्ञा

द्रव्य से-मोक्ष मार्ग की आराधना में सर्वोत्कृष्ट निमित्त रूप आचार्य श्री जी, उपाध्याय श्री जी एवं साध्जी/साध्वीजी को संयम-निर्वाह हेत् चौदह प्रकार की निर्दोष वस्तुएँ भक्ति पूर्वक अर्पित करूँगा/करूँगी। क्षेत्र से-मर्यादित क्षेत्र में मैं जहाँ भी उपस्थित रहूँ। काल से-जीवन पर्यन्त। भाव से-राग, द्वेष, पक्षपात, निदान एवं यशप्रतिष्ठा की कामना से रहित नि:स्वार्थ उल्लिसत भावों से प्रतिलाभित होकर धन्य बनुँ।

### अतिथि-संविभाग वृत के अतिचार

- सचित्त-निक्खेवणया-अचित्त वस्तु सचित्त पर रखना।
- सचित्त-पिहणया-अचित्त वस्तू सचित्त से ढँकना।
- कालाइक्कमे-समय बीत जाने पर भावना भाई हो। 3.
- परववएसे-स्वयं सूझता होते हुए भी दूसरों को बहुराने को कहना।
- मच्छरियाए-दान देकर अहंकार करना अथवा मत्सर (ईर्ष्या) 5. भाव से दान देना।

### अतिथि-संविभाग वृत के नियम

मैं साध्-साध्वी जी का योग मिलने पर चौदह प्रकार का आहार पानी भक्ति-भाव से, निष्काम-बुद्धि से, आत्म-कल्याण के लिए बहराऊँगा/बहराऊँगी।

- गुरु महाराज को अपने घर आते देखकर, सात-आठ कदम प्री सामने जाऊँगा/जाऊँगी तथा वापस पधारते समय सात-आठ कदम छोड़ने जाऊँगा/जाऊँगी एवं पुनः पधारने की भावना भाऊँगा/ भाऊँगी।
- 3. भोजन करते समय अतिथि-सत्कार की भावना भाऊँगा/भाऊँगी।
- 4. कोई वस्तु बहराने के बाद कम हो गई हो तो पुनः नहीं बनाऊँगा/ बनाऊँगी।
- 5. खरीदकर, उधार लाकर और सामने ले जाकर नहीं बहराऊँगा/ बहराऊँगी।
- 6. प्रासुक, निर्दोष आहारादि द्रव्य देने की ही भावना रखूँगा/रखूँगी।
- 7. यदि बहराते समय असूझता हो जावे तो उस रोज के लिए अपनी प्रिय वस्तु में से एक वस्तु के सेवन का त्याग कर दूँगा/दूँगी।
- 8. सुपात्रदान की भावना भाऊँगा/भाऊँगी।
- 9. साधु-साध्वी को निर्दोष आहार, पानी, वस्त्र, पात्र आदि बहराने की भावना भाऊँगा/भाऊँगी।
- 10. अवसर मिलने पर अपने हाथ से सुपात्रदान का लाभ लूँगा/लूँगी।
- 11. हमेशा भोजन के पहले भिक्षा के समय दरवाजा खुला रख कर, सूझता रहकर सूझती वस्तु से भावना भायेंगे।
- 12. धर्म में शिथिलाचारियों की निन्दा, अपमान, ईर्ष्या, द्वेष आदि नहीं करूँगा/करूँगी। शिथिलाचारी प्रवृत्तियों में सहयोग एवं प्रोत्साहन देकर भगवान महावीर का गुनहगार नहीं बनूँगा/बनूँगी।
- 13. धर्म के नाम पर आडम्बर होता हो वहाँ चन्दा नहीं दूँगा/दूँगी।
- 14. किसी की गलती से घर असूझता हो जाने पर कषाय नहीं करूँगा/ करूँगी, विवेक बढ़ाऊँगा/बढ़ाऊँगी।
- 15. साधु-साध्वी को झूठ बोलकर नहीं बहराऊँगा/बहराऊँगी।
- 16. स्वयं धोवन/अचित्त पानी का प्रतिदिन प्रयोग करूँगा/करूँगी। जिससे साधु-साध्वी को निर्दोष पानी बहरा सके।

### फल

स्थानाङ्गसूत्र के तीसरे स्थान में सदोष दान देने पर अगले जन्म में अल्प आयु का बन्ध होना बताया है अर्थात् सदोष दान देने पर अल्प आयु का बन्ध होता है।

स्थानाङ्गसूत्र में भक्तिपूर्वक, शुद्ध साधु को निर्दोष सुपात्र दान देने पर, शुभ दीर्घ आयु का बन्ध होता है तथा अन्य जगह कर्म–निर्जरा और तीर्थंकर गोत्रबन्ध एवं सम्यक्त्व प्राप्ति का कारण भी बताया है।

### आगार

अनिवार्य कारण से, अनुपयोग से, पराधीनता से, नौकरी की वजह से, मालिक की आज्ञा से, दुष्काल, विषम परिस्थिति में एवं गलती से असूझता आहार, बहरा दिया जाय तो आगार, विशेष कारण से, दूसरों को बहराने के लिए कहना पड़े तो आगार।

### अतिथि-संविभाग व्रत की शिक्षाएँ

- श्रावकों को दो प्रहर दिन चढ़े तब तक अपने घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए।
- 2. साधु-साध्वियों को कल्पनीय वस्तुओं को बड़े भक्ति-भाव से सामने उपस्थित करना चाहिए तथा जो चीज उनके काम आये उसे बहुमानपूर्वक चढते परिणामों से अर्पित करना चाहिए।
- 3. आहारादि प्रतिलाभते समय असूझता नहीं हो जाय, इसका पूरा ख़याल रखना चाहिए।
- 4. असूझता, आधाकर्मी, औद्देशिक आहारादि की भावना नहीं भानी चाहिए।
- 5. नि:स्वार्थ भाव से, उत्कृष्ट भावों से साधु-साध्वियों को प्रतिलाभ देने से श्रद्धा दृढ़ होती है तथा उत्कृष्ट रसायन आने पर तीर्थंकर नाम-गोत्र भी उपार्जन होता है। शुभ दीर्घायुष्य का बन्ध होता है।
- 6. कोई साधु-साध्वी अकल्पनीय वस्तु बहराने की माँग करे तो क्षमायाचना कर स्पष्ट मना कर देना चाहिये।

प्रतिज्ञा-उपर्युक्त प्रकार से मैंने जो आगार रखे हैं, उसके उपरान्त स्थूल अतिथि-संविभाग व्रत को ग्रहण करता हूँ।

दिनाङ्क हस्ताक्षर

बारह व्रत सम्पूर्ण

# चौदह नियम

इहलोक तथा परलोक दोनों को सुखमय बनाने का एक मात्र साधन ही त्याग एवं मर्यादा है। जितना त्याग उतनी ही शांति। व्रत-नियम धारण करने से बहुत कम पाप खुला रहता है। जिससे आत्मा के कर्म-बन्ध के अनेक कारण रूक जाते हैं। यदि कल्पना से यह कह दिया जाय कि प्रतिदिन चौदह नियम धारण करने से मेरू जितना पाप टलकर राई जितना पाप खुला रहता है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है।

- 1. सचित्त-खाने-पीने के काम में आने वाले सचित्त (जीव सहित) वस्तुओं की जाति, संख्या और हो सके तो वजन का भी परिमाण करें। सचित्त वस्तु का परिचय जैसे-कच्ची/हरी तरकारी, फल-फूल अर्थात् सम्पूर्ण वनस्पति अग्नि पर पूरी सीझे नहीं तब तक सचित्त गिनना। बीज निकाले बिना सभी फलों के पणे सचित्त में गिनना। आम के तथा गन्ने के रस के सिवाय प्रायः पके फलों का रस निकाल कर रखने एवं छानने को 15-20 मिनिट नहीं हुआ हो तो भी सचित्त गिनना। धूँगारी हुई वनस्पतियाँ सचित्त हैं। चावल के सिवाय प्रायः सभी अनाज सचित्त। काजू को छोड़कर सभी मेवे प्रायः सचित्त। काला नमक को छोड़कर सभी नमक सचित्त। पानी को धोवन पानी बनाये एक घड़ी=24 मिनट नहीं हुई है तो सचित्त। जीरा, राई, मेथी, अजवाइन, सौंफ, इलायची के दाने, हरा पान, अखण्ड बादाम आदि सचित्त। किसी भी चीज में नमक, जीरा आदि ऊपर से डाले हों तो 24 मिनट तक सचित्त गिनना। सूखी चीज पर नमक, जीरा डाले तो सचित्त ही रहते हैं।
- (1) पृथ्वीकाय-मिट्टी, मुरड़, खड़ी, गेरू, हिंगलु आदि का अपने हाथ से आरम्भ करने की मर्यादा। ऊपर से नमक लेने का त्याग।
- (2) अप्काय-पानी प्रतिदिन पीने के लिए ( ), स्नान एवं गृह

- कार्य के लिए लीटर (), अपने हाथ से उपयोग में लेना, आरम्भ करना उसकी मर्यादा।
- (3) तेजस्काय-प्रतिदिन मेरे और मेरे परिवार के उपयोग में आने वाले आग, इलेक्ट्रिक एवं सेल से सञ्चालित होने वाले गैस, स्टोव, सिगड़ी, टी.वी., रेडियो, म्यूजिक सिस्टम, पंखा, फ्रिज, चिमनी, लाइटर, मिक्सी, एयरकूलर, ए.सी., माईक, फोन, रिमोट, दीपक, लालटेन, इस्त्री, हीटर, गीजर, भट्टी, गैसबत्ती, प्रकाश के ट्यूब, बल्ब, वाशिंग मशीन आदि बिजली से चलित यन्त्र संख्या () के उपरान्त उपयोग नहीं करूँगा।
- (4) वायुकाय-प्रतिदिन छोटे-बड़े पंखे, लिफ्ट, झूला, टेलिफोन, कूलर, ए.सी. अपने हाथ से ( ) बार से अधिक चलाने का त्याग।
- (5) वनस्पतिकाय-1. कंदमूल खाने का सम्पूर्ण त्याग या महीने में
   ( ) दिन त्याग। 2. सब्जी संख्या ( ) 3. फल संख्या
   ( ) 4. फूल संख्या ( ) के उपरान्त त्याग। स्पर्श करने एवं खरीदने का आगार।
- 2. द्रव्य-जितने नाम तथा जितने स्वाद पलटे, उतने ही अलग-अलग द्रव्य जानना। जैसे-रोटी, पूड़ी, खाखरे, पानी, गुड़ आदि जितनी वस्तु खाने-पीने में आवे उसकी गिनती तथा वजन का परिमाण करें।
- 3. विगय-विकारक वस्तु जैसे घी, तेल, दूध, दही, शक्कर (गुड़) में से कम से कम एक का त्याग करना। एक का भी त्याग न हो सके तो सबकी गिनती तथा वजन की मर्यादा (परिणाम) करें। महाविगय-मक्खन, शहद का त्याग करना तथा मद्य एवं मांस इन दो महाविगयों का श्रावक को सर्वथा त्याग करना।

- 4. पन्नी-पाँव में पहनने के जूते, चप्पल, सेंडल, खड़ाऊ, स्लीपर, बूट (जाति-चमड़े, रबर आदि), मौजे आदि की मर्यादा करें। गुम हो जाने पर दूसरी जोड़ी पहननी पड़े तो आगार।
- 5. तम्बोल-मुखवास की चीजें जैसे सुपारी, इलायची, पान, सौंफ, चूर्ण, खटाई, गोली इत्यादि जाति या वजन की मर्यादा करें।
- 6. वस्त्र-पहनने एवं ओढ़ने के वस्त्र और काम में लेने के वस्त्रों के नग की गिनती करना। जैसे-शर्ट, पेण्ट, धोती, कोट आदि तथा बिछौना, ओढ़ने की चादर, शाल आदि।
- 7. कुसुम-शौक से सूँघने के पदार्थों की मर्यादा करना। जैसे-इत्र, सेण्ट, तेल, फूल आदि। किसी चीज के परीक्षण हेतु सूँघे जायें जैसे-घी-तेल, फल आदि उसका आगार। भूल या दवा का आगार।
- 8. वाहन-सभी प्रकार की सवारी की मर्यादा करना। जैसे-हाथी, ऊँट, घोड़े, लिफ्ट, एस्कलेटर, मोटर, रेल, ऑटो, स्कूटर, कार, नाव, हवाईजहाज आदि।
- 9. शयन-सोने के लिए पलंग, खाट, कुर्सी, टेबल, स्टूल, सोफा, पाट, बाजोट आदि फर्नीचर एवं ओढ़ने के तथा बिछाने के गद्दी, तिकये आदि नग में मर्यादा करना। जिसकी गिनती सम्भव नहीं हो ऐसे प्रसंगों का आगार।
- 10. विलेपन-जितनी भी लेप शृङ्गार की चीजें शरीर पर लगाई जावे उनकी जाति की संख्या में मर्यादा करना। जैसे-तेल, साबुन, चंदन, केशर, रनो क्रीम आदि। बिना उपयोग, भूल या दवा का आगार।
- **11. ब्रह्मचर्य**-मैथुन-सेवन का त्याग यानी शीलव्रत का पालन करना।

- जैसे-जीवन पर्यन्त नववाड़ सहित अखण्ड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। दिन में मैथुन सेवन का त्याग करें। रात की मर्यादा करें। पाँचों तिथियों और पर्व के दिनों में मैथुन-सेवन का सर्वथा त्याग करें।
- 12. दिशि-अपने स्थान से चारों दिशाओं में स्वाभाविक कितने किलोमीटर से आगे आवागमन नहीं करना, उसकी मर्यादा करें। ऊँची दिशा में पहाड़ पर अथवा तीन चार मञ्ज़िल के मकान पर जाना हो तो उसकी मर्यादा करें। नीची दिशा भोयरें आदि में जाना हो तो उसकी मर्यादा करें।

विशेष परिस्थिति में पाँच नमस्कार मन्त्र के आगार से मर्यादा करना। तार, पत्र, टेलिफोन, व्हाट्स एप्प, टिवटर, इन्स्टाग्राम स्वयं करने की मर्यादा करें। भारत वर्ष या अमूक-अमूक देश में।

- 13. स्नान-पूरे शरीर पर पानी डालकर स्नान करना 'बड़ी स्नान' है। पूरे शरीर पर गीले कपड़े से पोंछना 'मध्यम' स्नान है और हाथ पाँव, मुँह धोना 'छोटी स्नान' है। इसकी मर्यादा करना तथा स्नान में कुल पानी की मर्यादा लीटर अथवा बाल्टी। तालाब, नल, वर्षा या बिना माप के पानी का त्याग करना। लोकाचार का आगार।
- **14. भत्त**–दिन में कुल कितनी बार खाना, उसकी मर्यादा करना। भोजन करने में जितनी वस्तु आवे उन सभी के वजन का समुच्चय परिमाण करें। पीने के पानी का भी परिमाण करें।

## श्रावक के तीन मनोरथ

आरंभ परिग्रह तज करि, पंच महाव्रत धार। अंत समय आलोयणा, करूँ संथारो सार।।

1. पहले मनोरथ में श्रावक जी यह भावना भावे-''कब वह शुभ समय प्राप्त होगा, जब मैं अल्प या अधिक परिग्रह का त्याग

- करूँगा। छह काया का आरंभ और नौ प्रकार का बाह्य तथा चौदह प्रकार का आभ्यन्तर परिग्रह का सर्वथा प्रकार से त्याग करूँगा, वह दिन मेरा धन्य होगा।"
- 2. दूसरे मनोरथ में श्रावक जी यह चिन्तन करे-''कब वह शुभ समय प्राप्त होगा, जब मैं गृहस्थावास को छोड़कर मुण्डित होकर प्रव्रज्या (संयम) अङ्गीकार करूँगा, अर्थात् पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति, दस यति धर्म और सतरह प्रकार के संयम का पालन करूँगा, वह दिन मेरा धन्य होगा।''
- 3. तीसरे मनोरथ में श्रावक जी यह चिन्तन करे- ''कब वह शुभ समय प्राप्त होगा, जब मैं अन्त समय में संलेखना-संथारा करके आहार-पानी का त्याग कर पण्डित मरण अङ्गीकार कर जीवन- मरण की इच्छा न करता हुआ अंतिम समय सम्पूर्ण पापों का त्याग कर, आजीवन अनशन स्वीकार कर आत्म-भाव में लीन बनूँगा। वह दिन मेरा धन्य होगा।''

### बीमा

- घर, दुकान, संसार प्रपञ्च का त्याग ( ) तत्पश्चात् निवृत्ति
   (व्यापार बन्द, संसार हेतु मर गया, धर्म हेतु जिंदा हूँ)
- 2. 4,3,2, या 1 खन्ध का पालन ( ) उम्र के बाद। (1. हरी-लिलोती का त्याग 2. कच्चे पानी का त्याग 3. रात्रि में चौविहार-त्याग 4. कुशील (मैथुन) सेवन का त्याग।)
- 3. दीक्षा लेंगे ( ) उम्र पश्चात्। 60 साल की वय से पहले संयम उदय में न आवे वहाँ तक ( ) त्याग।
- 4. संयम की प्रेरणा करेंगे (स्वयं भी लेने की भावना रखेंगे) घर परिवार में दीक्षा लेने वाले को अन्तराय नहीं देंगे। भाव आगे बढ़ायेंगे, उनकी परीक्षा ले सकते हैं। अपनी प्रेरणा से किसी को दीक्षा दिलवाने का प्रयत्न करेंगे, अन्यथा खुद लेंगे।

### सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल के विविध सेवा सोपान

जिनवाणी हिन्दी मासिक पत्रिका का प्रकाशन

जैन इतिहास आगम एवं अन्य सत्साहित्य का प्रकाशन

श्री जैन रत्न आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान का संचालन

अखिल भारतीय स्तर पर जैन विद्वत्संगोछियों का आयोजन

आचार्य श्री हस्ती स्मृति व्याख्यानमाला का आयोजन

उक्त प्रवृत्तियों में दानी एवं प्रबुद्ध चिन्तकों के रचनात्मक सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है।

सम्पर्क सूत्र

### मंत्री

### सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल

सुबोध बॉयज सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के ऊपर बापू बाजार, जयपुर-302003 ( राजस्थान )

दूरभाष : 0141-2575997 ई-मेल : sgpmandal@yahoo.in